This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 26 जून, 2015 / 05 आषाढ़, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

पशु पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 19 मार्च, 2015

संख्याः एएचवाई–ए(3)1 / 09–पार्ट––I.––राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 54 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् विनियम, 2015, बनाते है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (सम्पत्ति का प्रबन्धन, इसके लेखे बनाए रखना और संपरीक्षा) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम, इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;–

(क) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ख) "विनियमों" से हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् विनियम, 2015 अभिप्रेत है;
(ग) "बजट" से परिषद् का बजट अभिप्रेत है;
(घ) "समिति" से परिषद् द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है; और
(ङ) "वर्ष" से प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमशः अधिनियम और तद्धीन विरचित नियमों में हैं।

3. सम्पत्ति का अर्जर्नन.–परिषद्, अधिनियम के प्रयोजन हेतु सम्पत्ति का अर्जन या तो क्रय द्वारा या पट्टे पर कर सकेगी।

4. स्थावर सम्पत्ति का रजिस्टर.––परिषद् इन विनियमों से संलग्न प्ररूप–क में इसमें निहित और इससे सम्बन्धित स्थावर सम्पत्ति का एक रजिस्टर बनाए रखेगी।

5. सम्पत्ति का अनुरक्षण.––रजिस्ट्रार, सम्पत्ति को सुरक्षित, अनुरक्षित रखेगा तथा इसके लेखों को पृथक् रखेगा।

6. क्रय तथा भेंट या दान का प्रतिग्रहण.––परिषद् ऐसी जंगम सम्पत्ति, जैसी अपेक्षित हो, का क्रय करेगी, इसको दी गई भेंट या दान का प्रतिग्रहण करेगी तथा इसे परिषद् के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करवाएगी।

7. स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण.––परिषद् एक प्रस्ताव पारित करेगी कि कोई भी स्थावर सम्पत्ति, जिसकी परिषद् को निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, का विक्रय या पट्टे द्वारा अन्तरण कर सकेगी।

8. लोक नीलामी द्वारा अन्तरण.––स्थावर सम्पत्ति का सिवाय लोक नीलामी के विक्रय या पट्टे द्वारा, कोई अन्तरण नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि परिषद् की यह राय है कि ऐसी सम्पत्ति का लोक नीलामी द्वारा अन्तरण वांछनीय नहीं है, तो यह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसा अन्तरण बिना लोक नीलामी से कर सकेगी।

9. नीलामी का संचालन.––परिषद् की स्थावर सम्पत्ति की नीलामी रजिस्ट्रार द्वारा, ऐसी रीति में, जैसी परिषद् द्वारा समय–समय पर निदेशित की जाए, संचालित की जाएगी।

10. वार्षिक किराए का अग्रिम में संदेय होना.–– स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक पट्टा, पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष, अग्रिम में वार्षिक किराये के संदाय की शर्त के अध्यधीन होगा।

11. नीलामी की सूचना का प्रकाशन तथा विक्रय या पट्टे की शर्तें– विक्रय या पट्टे की शर्तें, नीलामी की तारीख, समय और स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाला नोटिस, जिसमें उक्त सूचना अन्तर्विष्ट हो, की एक प्रति परिषद् के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर प्रदर्शित की जाएगी। जहां स्थावर सम्पत्ति का नियत मूल्य पच्चीस हजार रूपये से अधिक है, तो उक्त नोटिस को स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाएगा।

12. नीलामी का पर्यवेक्षण.––नीलामी, परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय–समय पर गठित समिति के पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी।

13. नीलामी की शर्तें.––नीलामी, किन्हीं अन्य शर्तों के अतिरिक्त, जिन्हें परिषद् निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अधिरोपित करना उचित समझे, की जाएगी, अर्थातः–

(क) किसी भी व्यक्ति को बोली देने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने सम्पति के नियत मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर की राशि अग्रिमधन के रूप में नीलामी को संचालित करने वाले अधिकारी के पास जमा नहीं करवा दी है;

(ख) उच्चतम बोली परिषद् द्वारा पुष्टि के अध्यधीन स्वीकार की जाएगी:

परन्तु निम्नतर बोली राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्वीकार की जा सकेगी।

(ग) व्यक्ति, जिसकी बोली स्वीकार की गई है, नीलामी मूल्य का पच्चीस प्रतिशत उसकी बोली स्वीकार करने के तुरन्त पश्चात् जमा करेगा। अग्रिम धन के निक्षेप को नीलामी मूल्य में समायोजित किया जाएगा। यदि बोली देने वाला, यथा अपेक्षित नीलामी मूल्य का पच्चीस प्रतिशत जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन समपहृत हो जाएगा और नीलामी रद्द समझी जाएगीय और

(घ) अतिशेष संदत्त किया जाएगा और अन्तरण विलेख बोली की पुष्टि के तीस दिन के भीतर निष्पादित किया जाएगा। यदि वह अतिशेष को बोली की पुष्टी के तीस दिन के भीतर जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई पच्चीस प्रतिशत की रकम समपहृत हो जाएगी और नीलामी रद्द समझी जाएगी।

14. अग्रिम्रम धन का प्रतिदाय.––(1) अन्य बोली देने वालों के अग्रिम धन की रकम का सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

(2) जहां विनियम 13 (ख) के पस्तुक के अधीन प्रस्तावित निम्नतर बोली को स्वीकार किया जाता है, वहाँ उक्त विनियम के विनियम 13 (ग) के अधीन जमा की गई रकम का, सम्बद्ध व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा निम्नतर बोली को अनुमोदित करने के बाद, यथाशक्य शीघ्र प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

15. स्थावर सम्पत्ति की पुनः नीलामी.––स्थावर सम्पत्ति, जिसकी नीलामी विनियम 13 के अधीन रद्द की गई है, की इन विनियमों द्वारा उपबन्धित रीति में पुनः नीलामी की जाएगी।

16. पुस्तकों तथा रजिस्टरों का रख–रखाव.–– रजिस्ट्रार, निम्नलिखित पुस्तकों तथा रजिस्टरों को बनाए रखेगा, अर्थातः–

(1) रोकड़ बही (2) खाता–बही (3) डाक टिकटों सहित डायरी और प्रेषण रजिस्टर (4) निष्क्रीय स्टॉक रजिस्टर (5) मुद्रित प्रमाण पत्रों के लिए स्टॉक रजिस्टर (6) रसीद बहियां (7) अनुदान का रजिस्टर (8) बाउचरों की नस्ति (9) उपस्थिति रजिस्टर (10) छुट्टी लेखों का रजिस्टर (11) यदि नियमित कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, तो परिषद् की अंशदायी भविष्य निधि के रख–रखाव के लिए अपेक्षित रजिस्टर (12) सेवा पुस्तकें और अन्य रजिस्टर, जो आवश्यक हों।

17. परिषद् के धन का बैंक में जमा किया जाना.––परिषद् ऐसे अनुसूचित बैंकों में, जो समय–समय पर अवधारित किए जाएं, खाता खोलेगी और इसके द्वारा प्राप्त समस्त धन को ऐसे बैंको में जमा करेगी।

18. परिषद् की ओर से धन की प्राप्ति.––परिषद् को संदेय समस्त धन, परिषद् की ओर से रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित लिखित में प्राधिकृत परिषद् के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा और विनियम 17 के अधीन परिषद् द्वारा यथा अवधारित बैंक में जमा किया जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा धन प्राप्त करने के बदले में प्ररूप–ख में एक रसीद जारी की जाएगी।

19. परिषद् के खातों का संचालन.––बैंक में परिषद् के खातों का संचालन रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।

20. स्थाई अग्रिम.––रजिस्ट्रार, आपात्तिक कार्यालय व्ययों की पूर्ति के लिए, केवल दस हजार रूपये का स्थाई अग्रिम रखेगा।

21. लेखों का रख–रखाव.––परिषद् की ओर से प्राप्त या व्यय किया गया समस्त धन, रजिस्ट्रार के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन प्ररुप–ग में अनुरक्षित की गई साधारण रोकड़ बही में परिषद् के लेखों (अकॉउण्टस) में दर्ज किया जायेगा और उसमें की गई समस्त प्रविष्टियां उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी।

22. परिषद् की निधियों में से आहरण.––परिषद् की निधियों में से आहरण, केवल रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित चैक के माध्यम से ही किया जाएगा।

23. परिषद् की निधियों से संदाय.––(1) पांच हजार रूपये तक के समस्त संदाय नकद में किए जा सकेंगे।

(2) पांच हजार रूपये से अधिक के संदाय चैक के माध्यम से किए जाएंगे और चैक संख्या तथा तारीख का संदर्भ सम्बद्ध बिल में उद्धृत किया जाएगा, ताकि दोहरे संदाय को रोका जा सके। तृतीय पक्षकारों को संदेय समस्त चैक, उन्हें बैंक से संदाय प्राप्त करने के लिए दिए जाएंगे, परन्तु परिषद् के कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते तथा अधिकारियों का मानदेय और भत्तों का, रकम का विचार किए बिना, नकद संदाय किया जाएगा।

(3) जब कभी धन रोकड़ तिजोरी (कैश चेस्ट) में रखा जाना अपेक्षित हो, तो इसे परिषद् की निधि में से स्वयं के पक्ष में चैक के माध्यम से आहरित किया जाएगा।

24. रोकड़ की अभिरक्षा.––(1) परिषद् की तिजोरी में समस्त नकदी, डब्बल लॉक सिस्टम के अन्तर्गत मजबूत लोहे की तिजोरी में रखी जाएगी। उस ताले की समस्त चाबियां, एक ही व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं रखी जाएंगी। ताले की एक चाबी रजिस्ट्रार अपने पास रखेगा और अन्य चाबी सम्बद्ध सहायक के पास रखी जाएगी। तिजोरी चाबियों के दोनो अभिरक्षकों की उपस्थिति में खोली जाएगी। चाबियों का दूसरा सैट खजाना में जमा किया जाएगा और उनका निरीक्षण, खजाना नियमों के अधीन यथा अपेक्षित, कालिकतः किया जाएगा।

(2) परिषद् एक बार में दस हजार रुपए की अधिकतम् सीमा तक की नकदी को परिषद् की नकदी तिजोरी में संचित करना अनुज्ञात कर सकेगी। किन्तु यह सीमा तथापि समय–समय पर प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार, परिषद् के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाने तथा कम करने के अध्यधीन होगी।

25. वित्तीय शक्तियां.––(1) रजिस्ट्रार, दस हजार रुपये मूल्य से अनधिक की किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्राधिकृत होगा। उपरोक्त सीमा से अधिक का कोई व्यय अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष उप–विनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक, किन्तु बीस हजार रुपए से अनधिक, का व्यय मंजूर कर सकेगा।

(3) किसी भी दशा में, बीस हजार रुपए से अधिक का व्यय परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा।

(4) परिषद् अपनी वित्तीय या किन्हीं अन्य शक्तियों को, परिषद् के कारबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(5) धन के किसी दावे के रूप में प्रस्तुत किए गए किसी बिल या अन्य वाउचरों को, रजिस्ट्रार द्वारा उक्त उपबन्धों के अध्यधीन प्राप्त, परीक्षित और संदत्त किया जाएगा।

(6) परिषद्, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी, भण्डार–वस्तुओं के क्रय की बाबत साधारण दिशा–निर्देशों का पालन करेगी।

(7) समस्त बिल, जब संदत्त किए जाएंगें, को निम्नलिखित स्टैंप के साथ स्थंपित किया जाएगा–

वाउचर संख्या .....
संदाय की तारीख .....
रोकड़ बही में प्रविष्टि .....
पृष्ठ संख्या. .....

हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार

26. बजट तैयार करना.––परिषद्, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्ररुप–घ में या परिषद् द्वारा अनुमोदित किन्हीं अन्य प्ररूपों में परिषद् की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को, उक्त वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्ववर्ती 31 जनवरी तक या इससे पूर्व, दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसका वार्षिक बजट तैयार करेगी तथा परिषद् द्वारा तैयार किए गए और अनुमोदित बजट की पांच प्रतियाँ, इसके अनुमोदन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

27. परिषद् का अनुपूरक बजट.–– (1) अध्यक्ष, वर्ष, जिसके लिए बजट तैयार किया गया है, के दौरान किसी भी समय, परिषद् के समक्ष विशेष अधिवेशन में अनुपूरक बजट पेश कर सकेगा।

(2) अनुपूरक बजट उसी रीति और प्ररूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें विनियम– 26 के अधीन वार्षिक वजट तैयार किया गया था।

(3) विनियम 26 के उपबन्ध अनुपूरक बजट को इसकी प्रतियाँ सरकार को प्रस्तुत करने की बाबत, लागू होंगे।

28. व्यय के लिए बजट शीर्ष.––विभिन्न व्ययों के लिए समस्त उपबन्ध अनुमोदित बजट के अन्तर्गत किए जाएंगे और बजट कोड निम्न प्रकार से होगा–

बजट कोड	**बजट शीर्ष**
01	वेतन।
02	मजदूरी।
03	यात्रा व्यय।
04	मदें, जैसे लेखन सामग्री, डाक व्यय, बिजली, पानी, फर्नीचर और अन्य फिक्सचर, कम्प्यूटर और कार्यालय प्रयोग से सम्बन्धित अन्य मदों के लिए कार्यालय व्यय।
05	वर्दी।
06	आतिथ्य तथा बैठकें।
07	किराया, दर और कर।
08	मोटरयान।
09	परिषद् भवन का सन्निर्माण।
10	परिषद् भवन की मरम्मत।
11	परिषद् के सदस्यों का मानदेय।
12	उधार (ऋण)।
13	विकास संकर्मो का निष्पादन।
14	विज्ञापन और प्रचार।
15	विविध।

29. सरकारी नियमों का लागू होना.––बजट और लेखों को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया नियमों या प्ररूपों, जो विभिष्टतया इन विनियमनों में उपबन्धित नहीं हैं, के समस्त मामलों की बाबत राज्य सरकार के कार्यालयों में प्रवृत प्रक्रिया या नियम या प्ररूपों का परिषद् द्वारा अनुसरण किया जाएगा।

30. परिषद् के खातों को तैयार करना और उनका रख–रखाव.––(1) अधिनियम के उपबन्धों और सरकार द्वारा इस निमित जारी निदेशों के अध्यधीन, परिषद् खातों की समुचित बहियां और इससे सम्बन्धित अन्य सुसंगत अभिलेखों को निम्नलिखित के सबंधं में बनाएगी और कार्यालय में रखेगी।

(क) परिषद् द्वारा प्राप्त की गई और व्यय की गई समस्त रकम और धन तथा मामले (विषय), जिसकी बाबत प्राप्ति और व्यय किया गया है; और

(ख) परिषद् की परिसम्पत्तियां और दायित्व।

(2) परिषद्, प्रत्येक वर्ष, किन्हीं अन्य बैठकों के अतिरिक्त, वार्षिक बैठक के रूप में एक बैठक करेगी जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर की जाएगी।

(3) उप विनियम (2) के अनुसरण में आयोजित परिषद् की प्रत्येक वार्षिक बैठक में, परिषद् का अध्यक्ष, परिषद् के समक्ष निम्नलिखित रखेगा;

(क) तुलन पत्र जो वित्तीय वर्ष के अन्त में होय और
(ख) वित्तीय वर्ष का लाभ और हानि लेखा।

(4) परिषद् का प्रत्येक तुलन पत्र, वित्तीय वर्ष के अन्त में परिषद् के कार्यकलापों की सही और उचित स्थिति देगा और वह ऐसे प्ररुपों में होगा जैसा परिषद् द्वारा अनुमोदित हो।

(5) उप–विनियम 3 (क) और (ख) के अधीन अधिकथित तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा, परिषद् की ओर से अध्यक्ष और रजिट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(6) लाभ और हानि लेखे सहित तुलन पत्र परिषद् की ओर से उप–विनियम (5) के उपबन्धों के अनुसार इन्हें हस्ताक्षरित करने से पूर्व और इनकों लेखा परीक्षकों को उस पर उनकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

31. संपरीक्षा रिपोर्ट.––(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात, अध्यक्ष के निदेश के अधीन रजिट्रार द्वारा वार्षिक लेखे तैयार किए जाएंगे। जहाँ तक संभव हो वे रजिस्ट्रीकृत चार्टड अकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे।

(2) रजिस्ट्रीकृत चार्टड अकाउण्टेंट से संपरीक्षा रिपोर्ट और संपरीक्षा प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार, अविलम्ब उसे निदेशक, पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश को उसके संप्रेक्षणों और रिपोर्ट के लिए अग्रेषित करेगा।

(3) निदेशक, पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश इसकी प्राप्ति के पंद्राह दिन के भीतर, अपनी रिपोर्ट सहित संपरीक्षा रिपोर्ट को परिषद् को राज्य सरकार के आगामी प्रेषण के लिए बापस भेजेगा।

(4) निदेशक, पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर, रजिस्ट्रार संपरिक्षा रिपोर्ट और संपरिक्षा प्रमाण पत्र की प्रति सहित, उक्त रिपोर्ट की एक प्रति तथा तुलन पत्र सहित लाभ और हानि लेखे की प्रति अवलोकन और ऐसी कार्रवाही के लिए जैसी राज्य सरकार द्वारा उचित समझी जाए, सरकार को भेजेगा।

32. संपरीक्षा फीस.––परिषद् ऐसी संपरीक्षा फीस, जैसी समय–समय पर इसके द्वारा नियत की जाए, संदत्त करेगी।

33. प्रतिदाय.——परिषद् द्वारा फीस के रूप में प्राप्त की गई रकम का, किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन प्रतिदाय नहीं किया जाएगा। फीस के रूप में या अन्यथा प्राप्त की गई रकम, परिषद् के खाते में जमा रहेगी:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा विहित फीस से अधिक संदत कोई रकम, परिषद् के उन्चित खाते में जमा की जाएगी और यदि उसका तीन वर्ष की अवधि के भीतर दावा किया जाता है, तो उसका प्रतिदाय किया जा सकेगा और यदि प्रतिदाय के लिए पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई दावा नहीं किया जाता है, तो रकम परिषद् के खाते में जमा कर दी जाएगी।

————————

प्ररूप–क
(विनियम 4 देखें)
स्थावर सम्पत्ति का रजिस्टर

1. क्रम संख्या: .....
2. ग्राम या नगर, जहाँ सम्पत्ति अवस्थित है का नाम .....
3. सम्पत्ति का विवरण, स्थिति और सीमाएं .....
4. खसरा संख्या..... (भूमि की दशा में)
5. क्षेत्रफल या आकार.....
6. मुल्यांकन .....
7. परिषद् को प्रबन्धन अन्तरित करने के सरकार के आदेश की संख्या और तारीख.....
8. धारित सम्पत्ति का विवरणः–

   (क) सीधे प्रवन्धन के अधीनः–

   (i) अर्जन की तारीख .....
   (ii) ऐसे अधिभोग को प्राधिकृत करने के आदेश की संख्या और तारीख .....

   (ख) दान में प्राप्तः–
   (i) दाता का नाम .....
   (ii) अनुमानित मूल्य .....

   (ग) क्रीत या सन्निर्मितः–
   (i) क्रय की तारीख या सन्निर्माण की मंजूरी .....
   (ii) सम्पत्ति का मूल्य .....
9. किराएदार का नाम या पट्टा, यदि कोई है, और पट्टे की अवधि .....
10. पट्टे के पर्यवसान की तारीख.....
11. किराया प्रतिवर्ष .....
12. विक्रय आदि मंजूर करने के सरकारी आदेशों की संख्या और तारीख सहित सम्पत्ति के अन्तिम निपटान की रीति, क्रेता का नाम, यदि कोई है, और रकम जिसमें विक्रीत की गई.....
13. क्या रजिस्ट्रीकरण किया गया है, यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख आदि दें .....
14. रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर .....
15. टिप्पणीयाँ .....

अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश सह–पशु
चिकित्सीय परिषद्, शिमला ।

स्थान .....
तारीख .....

प्ररूप–ख

(विनियम 18 देखें)

बही संख्या .....
क्रम संख्या .....

रजिस्ट्रार, सह–पशु चिकित्सीय परिषद्,
शिमला का कार्यालय

तारीख

श्री / श्रीमती .....से
..... रूपये प्राप्त किए

हस्ताक्षर

बही संख्या .....
क्रम संख्या .....

रजिस्ट्राार, सह–पशु चिकित्सीय परिषद्,
शिमला का कार्यालय

तारीख

श्री / श्रीमती ..... से
..... रूपये प्राप्त किए।

हस्ताक्षर

————————

प्ररूप–ग

(विनियम 21 देखें)

हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, शिमला
साधारण रोकड़ बही

आय

मास	तारीख	वर्गीकृत सार की फोलियो संख्या	परिषद् के मुख्य / लघु और विस्तृत शीर्ष और उप शीर्ष का खाता	प्राप्ति का विवरण और व्यक्ति (यों) के नाम जिनसे प्राप्ति हुई है	बैंक की रसीद की संख्या और तारीख	रकम	दैनिक जोड़	बैंक को परिहार, संख्या और बैंक की प्राप्ति की तारीख	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

व्यय

मास	तारीख	वर्गीकृत सार की फोलियो संख्या	परिषद् के मुख्य / लघु और विस्तृत शीर्ष और उप–शीर्ष का खाता	विशिष्टियों प्रभार और प्रतिदाता का नाम	वाउचर नम्बर	चैक की संख्या और तारीख	रकम	दैनिक जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप–घ

(विनियम 26 देखें)

बजट का प्राक्कलन

रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, शिमला का कार्यालय

वर्ष .....

आय

बजट कोड	बजट शीर्ष	गत वर्ष का प्राक्कलित बजट	गत वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट	गत वर्ष की वास्तविक आय	वर्ष के लिए प्राक्कलित बजट	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

व्यय

बजट कोड	बजट शीर्ष	गत वर्ष का प्राक्कलित बजट	गत वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट	गत वर्ष की वास्तविक आय	वर्ष के लिए प्राक्कलित बजट	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश, सह–पशु,
चिकित्सीय परिषद्, शिमला ।

तारीख :
शिमला:

———————

हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद, शिमला–171005

विनियम अधिसूचना

अधिसूचना

शिमला, ... 2015

संख्याः..... हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 54 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्र संख्याःएएचवाई–ए(3)–1 / 2009–पी–I तारीख 28 / 09 / 2011 द्वारा रूचित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम वनाती है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन विनयमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की रीति) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं.**––(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश, सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) अभिप्रेत है;

(ख) "परिशिष्ट" से इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;
(ग) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है;
(घ) "निर्वाचन" से परिषद् का निर्वाचन अभिप्रेत है;
(ङ) "सदस्य" से परिषद् के पदेन और गैर–सरकारी सदस्य अभिप्रेत है;
(च) "रिटर्निंग अधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा परिषद् के गैर–सरकारी सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत हैं;
(ज) "समिति" से परिषद् द्वारा नियुक्त समिति अभिप्रेत है;
(झ) "अध्यक्ष" से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और
(ञ) "गणपूर्ति" से परिषद्/समिति के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या, जिसकी उपस्थिति किसी भी बैठक के कारबार के उचित या विधिमान्य संव्यवहार हेतु आवश्यक है अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं परन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।

3. गैर–सरकारी सदस्यों का निर्वाचन.––गैर सरकारी सदस्यों हेतु निर्वाचन, तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् या जब कभी वर्तमान सदस्य के त्याग पत्र अथवा मृत्यु द्वारा रिक्त कारित होती है, किया जाएगा और इस प्रयोजन हेतु;

(i) रजिस्ट्रार, सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों के समस्त निर्वाचक–मण्डलों के मतदाताओं का रजिस्टर बनाएगा और अधिनियम की धारा 38 की उप धारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा रखवाएगा;

(ii) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (प) के खण्ड (पप) के अधीन परिषद् के गैर–सरकारी सदस्य का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए, अपने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों का, अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार उक्त सदस्यों का निर्वाचन करने का आह्वान करेगी;

(iii) रजिस्ट्रार, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, जिसमें क्रम संख्या और प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्टिकृत है, का नाम अंतर्विष्ट होगा;

(iv) रजिस्ट्रार, दावे या आक्षेप आमंत्रित करने हेतु निर्वाचक नामावली को परिषद् के कार्यालय में इसे प्रदर्शित करते हुए, इसकी एक प्रति निरीक्षणार्थ उपलब्ध करवाते हुए प्रकाशित करेगा;

(v) इस विनियम के खण्ड (iv) के अधीन प्रत्येक दावा निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने और प्रत्येक आक्षेप उसमें प्रविष्टि हेतु क्रमशः प्ररूप 'क' और 'ख' में निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधी के भीतर दाखिल किया जाएगा। प्ररुप 'क' में प्रत्येक दावा ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जो अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने की अपेक्षा करता है, जबकि प्ररूप 'ख' में प्रत्येक आक्षेप, निर्वाचक नामावली में किसी नाम को दर्ज करवाने हेतु अन्य व्यक्ति जिसका नाम भी निर्वाचक नामावली में दर्ज है, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। यथास्थिति, ऐसे दावों और आक्षेपों की परीक्षा रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी, जो उस पर अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करेगा, जिसके अनुसरण में वह दावों या आक्षेपों को अनुज्ञात या अस्वीकृत कर सकेगा, परंतु दावे या आक्षेप तब तक अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे, जब तक ऐसा करने वाले व्यक्ति को ऐसी अस्वीकृति के बिरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

4. निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन.––(1) रजिस्ट्रार, विनियम 3 के खण्ड (अ) के अधीन दावों या आक्षेपों, यदि कोई हों, का निपटारा करने के पश्चात, निर्वाचक नामावली में पश्चात्वर्ती प्रकट किए गए या उसके ध्यान में लाए गए उसके विनिश्चय, कोई लिपिकीय या मुद्रण त्रुटि और अन्य अशुद्धियों का कार्यान्वयन करने के लिए संशोधन की सूची तैयार करेगा।

(2) रजिस्ट्रार, संशोधनों की सूची सहित, निर्वाचक नामावली, परिषद् के कार्यालय में इसको प्रदर्शित करते हुए निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराने के लिए इसकी एक पूर्ण प्रति प्रकाशित करेगा।

(3) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची सहित निर्वाचक नामावली, ऐसे व्यक्तियों की निर्वाचक नामावली होगी, जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (पप) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार परिषद् के गैर–सरकारी सदस्यों का निर्वाचन करेगी।

(4) रजिस्ट्रार द्वारा उप–विनियम 2 के अधीन प्रकाशित संशोधनों की सूची सहित निर्वाचक नामावली की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

5. रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति.––(1) राज्य सरकार, विनियम 4 के उप–विनियम (4) के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली की एक प्रति प्राप्त करने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी, जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा, की नियुक्ति करेगी।

(2) राज्य सरकार, रिटर्निंग अधिकारी को उसके कृत्यों का पालन करने में सहयोग देने हेतु एक या अधिक व्यक्तियों को, जो राज्य सरकार के अधिकारी होगें, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(3) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के नियन्त्रण के अध्यधीन, रिटर्निंग अधिकारी के समस्त या किसी भी कृत्य का पालन करने में सक्षम होगा, परंतु कोई भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के, मतपत्र जारी करने, मतपत्रों की गणना करने और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करने के मामलों से सम्बन्धित, किन्ही भी कृत्यों का पालन नहीं करेगा।

6. निर्वाचन का नोटिस.––(1) जब कभी परिषद् के लिए निर्वाचन किया जाना है या कोई रिक्ति भरी जानी है, तो रिटर्निंग अधिकारी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार समस्त निर्वाचकों को प्ररूप 'ग' के अनुसार नोटिस जारी करेगा और निदेश सहित निम्नलिखित सूचित करेगाः –

(क) निर्वाचन की तारीख;
(ख) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या;
(ग) तारीख और समय, जब तक अभ्यर्थी को नामनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए;
(घ) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तारीख और समय;
(ङ) तारीख और समय जब तक अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है; और
(च) निर्वाचक की बाबत कोई अन्य सुसंगत सूचना पूछ सकता है।

(2) नोटिस की एक प्रति रजिस्ट्रार के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी और अंग्रेजी तथा हिन्दी के अग्रणी समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

7. मतदाताओं की अर्हता.––(1) कोई व्यक्ति, जब तक उसका नाम विनियम 3 के खण्ड (i) के अधीन रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टिकृत नहीं है, तब तक मतदान करने या निर्वाचित होने के लिए अर्हित नहीं होगा।

(2) किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से इस कारण नहीं हटाया जाएगा कि निर्वाचक, अन्तिम रजिस्टर के प्रकाशन के पश्चात् उस हैसियत को नहीं रखता, जिसमें उसे इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किया गया था, परन्तु निर्वाचन हेतु किसी अभ्यर्थी को निरंतर अपेक्षित अर्हता/हैसियत रखनी होगी, जिसके कारण वह निर्वाचन की अपेक्षा करता है।

8. रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय.–– कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मतदान करने का या निर्वाचन लड़ने का हकदार है या नहीं, यदि ऐसा कोई प्रश्न रिटर्निंग अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9. अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन.–– निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्ररुप–घ में नाम निर्देशन पत्र, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक के आवेदन करने पर पचास रुपए के संदाय पर प्रदान किया जाएगा, द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा।

10. नामनिर्देशन पत्र.—— (1) प्रत्येक नामांकन पत्र, दो निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस प्रकार डाक द्वारा या अन्यथा भेजा जाएगा ताकि रिटर्निंग अधिकारी के पास उसके द्वारा नियत तारीख को या उससे पूर्व, जो निर्वाचन हेतु नियत तारीख से चार सप्ताह से अन्मून नहीं होगी, पहुँच जाए;

परंतु कोई निर्वाचक जितने स्थान भरे जाने हैं उनसे अधिक नाम निर्देशन पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा:

परंतु यह और कि यदि कोई निर्वाचक भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक नाम निर्देशन पत्र हस्ताक्षरित करता है, तो भरे जाने वाले स्थानों हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले प्राप्त नामनिर्देशन–पत्र, यदि वे अन्यथा नियमानुसार हैं, विधिमान्य माने जाएंगे और यदि उसी निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक समस्त ऐसे नाम निर्देशन–पत्र एक ही समय प्राप्त किए जाते हैं, तो समस्त ऐसे नाम निर्देशन पत्र अविधिमान्य माने जाएंगे।

(2) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे नामनिर्देशन–पत्रों की प्राप्ति पर तुरंत उन पर प्राप्ति की तारीख और समय पृष्ठांकित करेगा।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी, नामनिर्देशन–पत्रों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के पास रजिस्ट्रार के नाम से बैंक ड्राफ्ट या मनीऑडर के रूप में पांच सौ रूपये प्रतिभूति के रूप में निक्षेप करेगा। यदि निक्षेप की राशि मनीऑडर द्वारा भेजी जाती है, तो मनीऑर्डर की रसीद नामनिर्देशन–पत्रों के साथ संलग्न की जाएगी। नामनिर्देशन–पत्र जिसके साथ ऐसा निक्षेप या रसीद संलग्न न हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

11. प्रतिभूति का समपहरण और प्रतिदाय.—— यदि किसी अभ्यर्थी को कुल मिलाकर कुल मतों के एक बटा छह से अधिक मत प्राप्त नहीं होते हैं या अभ्यर्थी को डाले गए विधिमान्य मतों के ठीक एक बटा छह मत प्राप्त हुए हैं, तो प्रतिभूति राशि समपहृत हो जाएगी। यदि अभ्यर्थी ने रिटर्निंग अधिकारी को इस प्रयोजन हेतु विहित तारीख और समय तक तथ्य संसूचित करके अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया है या, यदि अभ्यर्थी निर्वाचित हुआ हो, परंतु उसे विधिमान्य मतों के एक बटा छह मत मिले हों या, यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो प्रतिभूति निक्षेप वापस किया जाएगा।

12. नामनिर्देशन हेतु सहमति.——(1) प्रस्तावित अभ्यर्थी अपना नामनिर्देशन पत्र निर्वाचन के लिए खड़े होने के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षरित करेगा।

(2) निर्वाचक उतने ही व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने का हकदार होगा, जितनी रिक्तियां हैं।

13. नामनिर्देशन पत्रों की अस्वीकृति.——(1) नामनिर्देशन–पत्र, जो इस निमित्त नियत तारीख और समय से पूर्व प्राप्त नहीं होता है, अस्वीकृत किया जाएगा।

(2) विनियम 10 के उप विनियम (3) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति राशि के बिना भी कोई नामनिर्देशन–पत्र अस्वीकृत किया जाएगा।

14. नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा.——(1) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा समस्त नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा, उस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट तारीख को की जाएगी।

(2) नामनिर्देशन–पत्र अविधिमान्य घोषित किया जाएगा;

(क) यदि प्रस्तावक या समर्थक द्वारा रिक्तियों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र हस्ताक्षरित किए हैं;

(ख) यदि नामनिर्देशन–पत्र अभ्यर्थी द्वारा या प्रस्तावक द्वारा या समर्थक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है;

(ग) यदि नामनिर्देशन–पत्र रिटर्निंग अधिकारी को नाम से संबोधित नहीं है उस प्रयोजन हेतु अधिसूचित तारीख और समय तक उसके पास रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में नहीं पहुँचता है या उसको व्यक्तिगत रूप से परिदत्त नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हता या हैसियत, जिसके कारण वह निर्वाचन लड़ना चाहता है, धारण करने से प्रविरत हो जाता है।

(3) अभ्यर्थी या अभ्यर्थी द्वारा लिखित रुप में नियुक्त उसका प्रतिनिधि, नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा के समय उपस्थित रह सकेगा। उन अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नामनिर्देशन–पत्र विधिमान्य घोषित किए गए हैं, उसी दिन रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर उसे चिपका कर वर्णक्रमानुसार प्रकाशित की जाएगी तथा सूची की एक–एक प्रति निर्वाचन हेतु नामनिर्देशित प्रत्येक अभ्यर्थी को अग्रेषित की जाएगी। निर्वाचन लड़ने बाले अभ्यर्थीयों की सूची का ऐसी रीति में, जैसी रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे, व्यापक प्रचार किया जाएगा।

15. नाम वापस लेना.––कोई अभ्यर्थी उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित नाम वापिस लेने का पत्र, रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टीकृत डाक द्वारा इस प्रकार भेजते हुए, ताकि वह उसके पास उस प्रयोजन हेतु नियत तारीख और समय तक पहुँच जाए, प्रस्तुत करते हुए निर्वाचन को लड़ने से अपना नाम वापस ले सकेगा। एक बार वापस लिया गया नाम अंतिम होगा।

16. निर्वाचन प्रक्रिया.–– (1) यदि निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के समान है, तो ऐसे समस्त अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किए जाएंगें। यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम है, तो ऐसे समस्त अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किए जाएगें और रिटर्निंग अधिकारी शेष रिक्तियों को भरने हेतु नया नोटिस जारी करेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों से अधिक है, तो रिटर्निंग अधिकारी विहित प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन की व्यवस्था करेगा। निर्वाचन का स्थान, तारीख और समय अधिसूचित किए जाएंगे।

(2) मत प्ररूप–ङ के अनुसार मतपत्र पर अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येंक मतदाता को उतने ही मत होंगें, जितनी रिक्तियों के स्थान भरे जाने हैं, और मतदाता अपना मतदान करते हुए अपने मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के सामने वाले स्थान पर जिसके पक्ष में वह मतदान करना चाहता है "ग" चिन्ह अंकित करेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन की दशा में समस्त मतदाताओं को निर्वाचन के लिए नियत तारीख से तीस दिन पूर्व प्ररुप–च, जिसमें समस्त अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रमानुसार मुद्रित होंगे और रिटर्निंग अधिकारी के आद्याक्षरों वाली किसी घोषणा सहित नोटिस भेजेगा। रिटर्निंग अधिकारी, पूर्वोक्त सामग्री सहित समस्त मतदाताओं को प्ररूप–छ में निर्वाचन हेतु अनुदेश और उसे (रिटर्निंग अधिकारी) संवोधित कोई मतदान पत्र लिफाफा तथा बाह्य लिफाफा भी उसको संवोधित करते हुए भेजेगा। निर्वाचक को प्रेषित प्रत्येक ऐसे पत्र की बाबत प्रविष्टिकरण प्रमाण पत्र भी अभिप्राप्त किया जाएगा।

(5) निर्वाचक, जिसे उसको डाक द्वारा भेजे गए मतदान और अन्य सम्बद्ध पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं या जिसने उनको खो दिया है या जिसके मामले में, पत्र रिटर्निंग अधिकारी को लौटाने से पूर्व अनवधानतापूर्वक खराब हो गए हैं, उस प्रभाव की स्वहस्ताक्षरित घोषणा प्रेषित कर सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी से नए पत्र भेजने की अपेक्षा कर सकेगा तथा यदि पत्र खराब हो गए हैं, तो खराब पत्र रिटर्निंग अधिकारी को लौटाए जाएंगे, जो प्राप्ति पर उनको रद्द कर देगा। ऐसे प्रत्येक मामले में, जहाँ नए पत्र जारी किए जाते हैं, निर्वाचन नामावली में यह द्योतन करने के लिए कि नए पत्र जारी किए गए हैं, निर्वाचक के नाम से सम्बन्धित संख्या के सामने कोई चिह्न अंकित किया जाएगा।

(6) यदि किसी निर्वाचक को इन विनियमों के अनुसार मतदान पत्र जारी किया गया है, तो उसके द्वारा मतदान पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण कोई निर्वाचन अविधिमान्य नहीं किया जाएगा।

17. मतों का रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाना.––अपने मत को अभिलिखित करने का इच्छुक प्रत्येक निर्वाचक, सूचना पत्र में दिए गए निदेशों के अनुसार घोषणा–पत्र और मतदान–पत्र भरने के पश्चात, लिफाफे और घोषणा पत्र बाह्य लिफाफे में संलग्न करके रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा निर्वाचक की अपनी लागत पर रिटर्निंग अधिकारी को इस प्रकार भेजेगा ताकि वह उसके पास मतदान हेतु नियत तारीख को शाम पाँच बजे के अपश्चात् नहीं पहुँचे। उस दिन और समय के पश्चात् प्राप्त या अरजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त समस्त लिफाफे, अस्वीकृत किए जाएंगे।

18. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत लिफाफों पर पृष्ठांकन.–– रिटर्निंग अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त लिफाफों में अंतर्विष्ट घोषणा–पत्र और बन्द लिफाफे में अंतर्विष्ट मतदान पत्र की प्राप्ति पर, बाह्य लिफाफे पर प्राप्ति की तारीख और समय पृष्ठांकित करेगा।

19. जब रजिस्ट्रीकृत लिफाफे खोले जाते हैं तो अभ्यर्थी उपस्थित रह सकगे.–– रिटर्निंग अधिकारी, मतदान हेतु नियत दिन को, उस स्थान पर, वहाँ के लिए उसको लिफाफे संबोधित किए गए हैं, ठीक पाँच बजे सांय के पश्चात् बाह्य लिफाफों को खोलेगा। कोई अभ्यर्थी बाह्य लिफाफों को खोलने के समय पर स्वयं उपस्थित रह सकेगा या उसके द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु भेज सकेगा।

20. मतपत्रों की अस्वीकृति.–– (1) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र लिफाफा अस्वीकृत किया जाएगा यदि;

(क) मतपत्र लिफाफे के बाहर, बाह्य लिफाफे में कोई घोषणा पत्र अंतर्विष्ट नहीं है, या
(ख) घोषणा पत्र वह नहीं है, जिसको रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजा गया है, या
(ग) घोषणा–पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, या
(घ) मतपत्र, मतपत्र लिफाफे के बाहर रखा है, या
(ङ) एक और उसी बाह्य लिफाफे में, एक घोषणा–पत्र या मतपत्र से अधिक संलग्न किए गए हैं।

(2) अस्वीकृति की प्रत्येक दशा में, मतपत्र लिफाफे और घोषणा पत्र पर शब्द "अस्वीकृत" पृष्ठांकित किया जाएगा। अस्वीकृति के कारण, मतपत्र लिफाफे पर, संक्षेप में, अभिलिखित किएं जाएंगे।

(3) रिटर्निंग अधिकारी, अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि निर्वाचकों ने घोषणा–पत्रों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, विनियम 16 के उप–विनियम 4 के अधीन समस्त घोषणा–पत्र निपटारे तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

21. मतों की संवीक्षा और गिनती.––(1) मतों की गणना हेतु नियत तारीख को, विनियम 20 के अधीन अस्वीकृत लिफाफों से भिन्न, मतपत्र लिफाफे खोले जाएगें और उनकी संवीक्षा की जाएगी तथा विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी।

(2) कोई अभ्यर्थी, गणना की प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु स्वंय उपस्थित रह सकेगा या उसके द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि भेज सकेगा।

(3) मत पत्र अविधिमान्य होगा, यदि;

(क) इसमें रिटर्निंग अधिकारी के आद्याक्षर या प्रतिरूप हस्ताक्षर नहीं हैं; या
(ख) मतदाता मतपत्र पर अपने नाम के हस्ताक्षर करता है, या इस पर कोई शब्द लिखता है, या इस पर कोई चिह्न अंकित करता है, जिसके यह उसके मतपत्र के रूप में पहचानने योग्य बन जाता है; या
(ग) उस पर मत अभिलिखित नहीं किया जाता है; या
(घ) यह अभिलिखित मत की अनिश्चितता के लिए शून्य है; या
(ङ) उस पर अभिलिखित मतो की संख्या निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक है; या

(च) मत का अभिलेखन इस प्रयोजन के लिए उपबंधित से अन्यथा किसी स्थान पर किया गया है।

(4) रिटर्निंग अधिकारी, यदि ऐसा अनुरोध किया गया हो, तो मतों की संवीक्षा या गणना के समय, मतपत्र अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दिखाएगा।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि मतपत्र की स्वीकृति के लिए इस आधार पर कि यह विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र की अस्वीकृति हेतु आक्षेप करता है तो यह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तत्काल, विनिश्चित किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंकित होगा।

(6) रिटर्निंग अधिकारी, संवीक्षकों की उतनी संख्या, जिनती वह ऐसे निर्देशों, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित जारी किए जाएं, के अनुसार उचित समझे नामनिर्दिष्ट करेगा।

22. परिणामों की घोषणा.––(1) जब मतों की गणना पूर्ण हो गई हो, तो रिटर्निंग अधिकारी प्ररुप–ज में परिणाम पत्र तैयार करेगा और अभ्यर्थियों की सूची प्रत्येक को प्राप्त अधिकतर मतों के क्रमानुसार, तैयार करेगा तथा उस क्रम में भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुसार सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करेगा।

(2) इस प्रकार घोषित यदि कोई अभ्यर्थी, निर्वाचन को स्वीकार करने से इंकार करता है, तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों में से एक, जिसको मतों की अगली अधिकतम संख्या प्राप्त हुई है, निर्वाचित समझा जाएगा, तथा जब–जब कोई रिक्ति इस प्रकार कारित होती है, तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(3) जब दो या अधिक अभ्यर्थियों के मध्य मतों की समानता हो, तो रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में, जैसी वह अवधारित करे, लॉटरी द्वारा अवधारित किया जाएगा कि कौन व्यक्ति, यथास्थिति, निर्वाचित किया गया समझा जाए।

(4) रिटर्निंग अधिकारी, जैसे ही परिणाम घोषित किया जाता है, प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को, उसके परिषद् के लिए निर्वाचित किए जाने की सूचना देगा।

23. मतदान पत्रों का छह मास तक रखे रहना.–– रिटर्निंग अधिकारी, गणना पूर्ण होने पर और परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् मतपत्रो और निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य समस्त दस्तावेजों को सील बन्द करेगा और उनको छह मास की अवधि के लिए रखे रहेगा, तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त छह मास के अवसान के पश्चात् भी इन अभिलेखों को नष्ट नहीं करेगा या नष्ट नहीं करवाएगा।

24. निर्वाचन के परिणामों की सूचना.–– (1) रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार को सूचित करेगा। तब राज्य सरकार परिणाम को राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

(2) निर्वाचन की बाबत किसी विवाद की दशा में, जिसे रिटर्निंग अधिकारी के पास उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के पंद्रह दिन के भीतर दर्ज कराया जा सकेगा, इसे परिषद् को उसके अन्तिम विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा।

25. निर्वाचन याचिकाएं.––(1) विनियम 24 के उप–विनियम (2) के अधीन यथा वर्णित रिटर्निंग अधिकारी के ध्यान में लाए गए मामलों की बाबत, कोई याचिका, और निर्वाचन से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं में से किसी पर कोई याचिका, परिणाम की घोषणा से पंद्रह दिन के भीतर पाँच सौ रूपये की फीस सहितः–

(क) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता का अभिकथनय

(ख) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतमत्र की गोपनीयता अतिलंघित किए जाने की बाबत अभिकथनय और

(ग) निर्वाचन हेतु किसी पार्टी द्वारा स्वयं अथवा इसके अभिकर्ताओं द्वारा सम्बन्धित पार्टी की जानकारी सहित या बिना, किसी भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होने की बाबत अभिकथन, रजिस्ट्रार के पास पहुँचेगी।

(2) विनियम 25 के उप–विनियम (1) के अधीन प्राप्त याचिका, परिषद् के तीन सदस्यों से गठित, जिनमें से एक सदस्य परिषद् द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा, किसी समिति, द्वारा चुनी चाएगी। समिति किसी व्यक्ति को जिसके साक्ष्य इसे तात्विक प्रतीत होते हैं, स्वंप्रेरणा से बुलाकर परीक्षा कर सकती है। कार्यवाही के समापन पर समिति निम्नलिखित आदेश करेगीः–

(क) निर्वाचन खारिज करना; या

(ख) समस्त या निर्वाचित अभ्यर्थियों में से किन्हींधकिसी का निर्वाचन शून्य घोषित करना।

(3) समिति के सदस्यों के मध्य यदि मत भेद हों, तो बहुमत अभिभावी होगा। दो सदस्यों से गणपूर्ती होगी। यदि केवल दो सदस्य उपस्थित हैं, और उनके मध्य मतभेद हों तो अध्यक्ष का विनिश्चय अभिभावी होगा, या उसकी अनुपस्थिति में मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अभिभावी होगा। यथास्थिति, समिति या अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकार होगा।

(4) कोई निर्वाचन, किसी नोटिस के प्राप्त न होने कारण या क्योंकि कोई मतदाता मतपत्र प्राप्त करने में विफल रहा है, या उसे यह समय पर प्राप्त नहीं हुआ, ताकि वह इसे इस प्रयोजन हेतु विहित समय तक रिटर्निंग अधिकारी को लौटा सके, या उसका नाम किसी भी कारण से मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, अविधिमान्य नहीं होगा।

————————

प्ररूप क
(विनियम 3(अ) देखें)
निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतु दावा

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्,
शिमला ।

महोदय,

मैं, एतद्द्वारा, हिमाचल प्रदेश सह–पशु, चिकित्सीय परिषद्, अधिनियम 2010 (2010 का 21) के अधीन बनाए गए हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (गैर–सरकारी सदस्यों का निर्वाचन) विनियम 2015 के विनियम 3 के खण्ड (अ) के अधीन अपना दावा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) खण्ड (ख) के अधीन हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् के आगामी निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दाखिल करता हूँ।

ससंगत व्यौरे निम्नलिखित हैं : –

नाम .....
पता .....
शैक्षणिक अर्हताएं .....
पदनाम और कार्यालय का पता, यदि कोई हो .....
दावा हेतु आधार (सबूत सहित, यदि कोई हो) .....

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, ... राज्य का निवासी हूँ और ..... का व्यवसाय करता हूँ .....राज्य में कर्मचारी हूँ।

स्थान.....
तारीख.....

दावेदार के हस्ताक्षर।

———————

प्ररूप–ख

प्रारूप निर्वाचन नामावली में किसी प्रविष्टि पर आक्षेप

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्,
शिमला।

महोदय,

मैं, एतद्द्वारा, हिमाचल प्रदेश सह–पशु, चिकित्सीय परिषद्, अधिनियम, 2010 (2010 का 21) के अधीन बनाए गए हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (गैर–सरकारी सदस्यों का निर्वाचन) विनियम, 2015 के विनियम 3 के खण्ड (अ) के अधीन, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) खण्ड (ख) के अधीन, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् के आगामी निर्वाचन के सबंधं में आपके द्वारा तैयार की गई निर्वाचन नामावली में निम्नलिखित प्रविष्टि के प्रति आपना आक्षेप दाखिल करता हूँ:–

(क) उन व्यक्तियों के नाम, जिनके नाम का निर्वाचन नामावली मे प्रविष्टि के प्रति आक्षेप किया गया है .....

(ख) आक्षेपित प्रविष्टि की विशिष्टियां .....
(ग) प्रविष्टि के प्रति आक्षेपों के आधार.....

(आक्षेपेपकर्ता के हस्ताक्षर)
स्थान .....
तारीख .....

आक्षेपकर्ता की क्रम संख्या और नाम, निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्टकृत ..... आक्षेपकर्ता का पता ..... प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता .....

———————

प्ररूप–ग
(विनियम 6(1) देखें)
हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्

निर्वाचन कार्यक्रम का नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि:–

(क) हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (गैर–सरकारी सदस्यों का निर्वाचन) विनियम 2015, के विनियम 3(1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों में से पाँच सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए कोई निर्वाचन ... . तारीख को किया जाना है।

(ख) नामनिर्देशन–पत्र, किसी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को स्वंय या डाक द्वारा ..... तारीख को या उससे पूर्व परिदत्त किया जा सकेगा;

(ग) नामनिर्देशन–पत्र का प्ररुप, रिटर्निंग अधिकारी से किसी कार्य दिवस को उसके कार्यालय से पचास रूपये केवल के संदाय पर अभिप्राप्त किया जा सकेगा;

(घ) नामनिर्देशन–पत्र, संवीक्षा के लिए ..... तारीख को लिया जाएगा;

(ङ) किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में उस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत, उसके प्रस्तावक द्वारा, अभ्यर्थिता वापस लेने का नोटिस रिटर्निंग अधिकारी को ..... तारीख को ..... बजे तक परिदत्त किया जा सकेगा;

(च) मतों की गणना ..... दिन..... बजे ..... पर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में की जाएगी और केवल पूर्वोक्त तारीख और समय तक प्राप्त अंकित मतपत्रों की ही गणना की जाएगी; और

(छ) मतों की गणना के ठीक पश्चात् परिणाम घोषित किया जाएगा।

.....
नाम
रिटर्निंग अधिकारी

स्थान .....
तारीख .....

———————

प्ररूप–घ
(विनियम 9 देखें)
नामनिर्देशन पत्र

सह–पशु चिकित्सीय परिषद् हिमाचल प्रदेश हेतु निर्वाचन

मैं ..... श्री ..... को परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ :–

अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम ..... हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (गैर–सरकारी सदस्यों का निर्वाचन) विनियम, 2015 के विनियम 3 (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्टिकृत है।

उसका नाम निर्वाचन नामावली की क्रम संख्या ..... पर प्रविष्टिकृत है।

मेरा नाम (प्रस्तावक का नाम) निर्वाचन नामावली की क्रम संख्या ..... पर प्रविष्टिकृत है।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
रजिस्टर में क्रम संख्या.....

मैं ..... श्री ..... के नामनिर्देशन का समर्थन करता हूँ।

समर्थक के हस्ताक्षर
रजिस्टर में क्रम संख्या .....

मैं, ... ऊपर उल्लिखित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन को सहमति प्रदान करता हूँ और, एतद्द्वारा, घोषित करता हूँ कि मेरा नाम निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्टिकृत है।

समर्थक के हस्ताक्षर
रजिस्टर में क्रम संख्या .....

तारीख.....

———————

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

नामनिर्देशन–पत्र की क्रम संख्या .....

यह नामनिर्देशन–पत्र मुझे अभ्यर्थी (नाम)...../प्रस्तावक (नाम)..... द्वारा (स्थान) ..... पर (तारीख) ..... को (समय) ..... परिदत्त किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी।

तारीख .....

(रिटर्निंग अधिकारी का नामनिर्देशन–पत्रों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का विनिश्चय)

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र की परीक्षा विधि के अनुसार की है और यथानिम्नलिखित विनिश्चय करता हूँ:

रिटर्निंग अधिकारी ।

तारीख.....

———————

प्ररूप–ङ
(विनियम 16(2) देखें)

मतपत्र

1. मत पत्र की क्रम संख्या
2. हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्
3. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या ..... (संख्या उपदर्शित की जानी है)
4. सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों या सह–पशु चिकित्सीय संस्थाओंध्स्थापनों के अभ्यर्थीयों के लिए डाक मत पत्र .....

क्रम संख्या	सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम	मत
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	.....	.....

रिटर्निंग अधिकारी के आद्याक्षर/
अनुलिपि हस्ताक्षर

अनुदेशः–

1. सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों के अभ्यर्थियों मे से केवल पांच सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं, अतः, केवल पाँच अभ्यर्थियों के सामने चिह्न लगाएं।
2. प्रत्येक निर्वाचक को उतने ही मत देने का अधिकार है, जितने अभ्यर्थी निर्वाचित किए जाने हैं।
3. निर्वाचक, मत प्रयोग के लिए अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने "X" का चिह्न लगाएगा।
4. मतपत्र अविधिमान्य हो जाएगा, यदिः–

(क) उसमें रिटर्निंग अधिकारी के आद्याक्षर या अनुलिपि हस्ताक्षर नहीं हैं; या
(ख) उस पर मतदाता अपने हस्ताक्षर करता है या कोई शब्द लिखता है या चिह्न लगाता है, जिससे वह उसके मत पत्र के रूप में पहचानने योग्य बनता है; या
(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है; या
(घ) "X" चिह्न इस प्रकार से लगाया गया है, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि यह किसी अभ्यर्थी के लिए लागू होना आशयित है, या यह निर्वाचित किए जाने हेतु अपेक्षित अभ्यर्थियों के नामों की संख्या से अधिक के सामने लगाया गया है।

————————

प्ररूप–च
(विनियम 16(4) देखेंखें)
घोषणा पत्र

हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियमन संख्याक 21) की धारा 54 (1) (ख) के अधीन हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् के लिए निर्वाचन .....
.....

क्रम संख्या .....
निर्वाचक का नाम.....
निर्वाचक नामावली की संख्या, यदि कोई है .....

निर्वाचक की घोषणा

मैं..... (पूरा नाम और पदनाम, यदि कोई है) घोषणा करता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन निर्वाचक मण्डल द्वारा हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् के सदस्य के लिए निर्वाचक हूँ और मैने इस निर्वाचन के लिए कोई अन्य मतपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर
पता.....

स्थान.....
तारीख.....

————————

प्ररूप–छ
(विनियम 16(4) देखें)
सूचना का पत्र

श्रीमान जी/श्रीमती जी,

मुद्रित मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम भेजे जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् के निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से अभ्यर्थी नामनिर्देशितत किए गए हैं।

यदि आप निर्वाचन में मत डालने की वाँछा रखते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ/करती हूँ कि:–

(क) घोषणा पत्र को भरें और उस पर हस्ताक्षर करें;

(ख) मतपत्र पर मुद्रित अनुदेशों के अनुसार मत डालने के प्रयोजन के लिए मतपत्र में उपबन्धित स्तंभ में अपना मत चिह्नित करें;

(ग) मतपत्र को छोटे आवेस्टक में परिवेस्टित करें और इसे चिपका लें; और

(घ) छोटे आवेस्टक और घोषणा पत्र को, अन्य लिफाफे में जिस पर मेरा पता पहले से ही मुद्रित है, परिवेस्टित करें और उसे डाक द्वारा अपनी लागत पर मुझे वापिस करें या व्यक्तिगत रूप से इसे मेरे कार्यालय में परिदत्त करें, ताकि यह मुझे ....., 20..... तक मिल सके।

1. मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा, यदि:–

(क) मतपत्र को परिवेस्टित किए जाने वाला बाह्य लिफाफा और घोषणा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा गया है या व्यक्तिगत रूप से मेरे कार्यालय में परिदत्त नहीं किया गया है या मतदान के लिए नियत किए गए घण्टों के पश्चात् प्राप्त हुआ है; या
(ख) बाह्य लिफाफे में छोटे वाले परिवेस्टक में घोषणा पत्र अन्तर्विष्ट नहीं है; या
(ग) मतपत्र को मतपत्र परिवेस्टक के बाहर रखा गया है; या
(घ) घोषणा पत्र वह नहीं है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजा गया है; या
(ङ) एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र एक ही और उसी बाह्य लिफाफे में परिवेस्टित किए गए हैं; या
(च) घोषणा, निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गई है; या

(छ) मतपत्र अविधिमान्य है।

2. मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदि:–

(i) यदि इसमें रिटर्निंग अधिकारी के आद्याक्षर या अनुकृति हस्ताक्षर नहीं हैं; या

(ii) मतदाता मतपत्र पर अपने नाम के हस्ताक्षर करता है या कोई शब्द लिखता है या कोई चिह्न अंकित करता है, जिससे यह जानने योग्य हो कि यह उसका मतपत्र है; या

(iii) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है; या

(iv) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या, निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों से अधिक है; या

(v) प्रयोग किए गए मत की अनिश्चितता के कारण यह शून्य है।

3. यदि मतदाता अनवधानता में पत्र को खराब कर देता है, तो वह मतदान के लिए नियत दिन से पन्द्रह दिन के अपश्चात रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर सकता है, जो ऐसी अनवधानता का समाधान होने पर उसे दूसरा मतपत्र जारी करेगा।

4. मतो की जाँच और गणना ..... तारीख के ..... बजे आरम्भ होगी।

5. कोई भी व्यक्ति, रिटर्निंग अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें वह अपनी सहायता के लिए नियुक्त करे अभ्यर्थियों के सम्यक् रूप से उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के सिवाय जाँच और गणना करते समय उपस्थित नहीं रहेगा।

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप–ज
(विनियम 22 (I)देखें)

सह–पशु चिकित्सीय परिषद् का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थि
यों का परिणामपत्र

मत पत्रों की कुल संख्या	डाले गए कुल मतपत्र	अस्वीकृत कुल मतपत्र	स्वीकृत कुल विधिमान्य मतपत्र	कुल विधिमान्य मत	अभ्यर्थियों के नाम	डाले गए विधिमान्य मतों की, मतदान वार, गणना	प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल मत
1	2	3	4	5	6	7	8

——
——

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

कुल विधिमान्य मत ....

रजिस्ट्रार
हिमाचल प्रदेश सह–पशु
चिकित्सीय परिषद्, शिमला

स्थान............
तारीख ....

————

हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, शिमला–171005

अधिसूचना

शिमला, ... 2015

संख्याः................ हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्याक 21) की धारा 54 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्र संख्याःएएचवाई–ए(3)–1/2009–पी–। तारीख 28/09/2011 द्वारा सूचित, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती हैय अर्थात:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएँ.**––(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "कार्यसूची" से बैठक में संव्यवहारित किए जाने वाले प्रस्तावित कारबार की मद अभिप्रेत है; और

(ख) "कार्यवृत" से बैठक की कार्यवाही का अभिलेख अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगें जो क्रमशः अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।

3. **अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्त्तव्य.––** परिषद् का अध्यक्ष:–

(i) कारबार के संव्यवहार हेतु या तो साधारण या विशेष बैठक आयोजित करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा तथा इसकी कार्यवाहियों को, जैसा वह उचित समझे, स्थगित करेगा और या विनियमित करेगा। तथापि साधारण बैठक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

(ii) तत्समय वास्तविक रूप से सेवारत्त सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों से लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर, किसी भी समय परिषद् की बैठक आयोजित करेगा परन्तु अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक केवल तभी बुलाई जाएगी, जब कभी कोई अत्यावश्यक मामला ऐसी बैठक में विचार हेतु हो।

(iii) प्रत्येक बैठक की सही तारीख, समय और स्थान अनुमोदित करेगा।

(iv) परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का, जो रजिस्ट्रार द्वारा तैयार की जाएगी और सदस्यों को परिचालित की जाएगी, अनुमोदन करेगा।

(v) बैठक के दौरान या तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र बैठक के कार्यवृत अभिलिखित करवाएगा।

(vi) बीस हजार रुपए से अनधिक व्यय मंजूर कर सकेगा है।

(vii) वर्ष के दौरान, जिसके लिए, परिषद् द्वारा बजट तैयार और अनुमोदित किया गया है, का किसी भी समय परिषद् के समक्ष विशेष बैठक में अनुपूरक बजट रखेगा।

(viii) परिषद् की प्रत्येक वार्षिक बैठक में, समस्त लेखें, परिषद् के समक्ष रखेगा।

(ix) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रार को लेखा रिपोर्ट तैयार करने का निदेश देगा।

(x) परिषद् के सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों की बाबत नियन्त्रण अधिकारी होगा।

4. **उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य.––** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

5. **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय.––** अध्यक्ष आरै उपाध्यक्ष को परिषद् द्वारा यथा विनिश्चित मानदेय संदत किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, शिमला–171005

अधिसूचना

शिमला, ... 2015

संख्याः..... हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 54 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्र संख्याःएएचवाई–ए(3)–1 / 2009– पी –I तारीख 28 / 09 / 2011 द्वारा सूचित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमबनाती है, अर्थात:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (समितियों का गठन की प्रक्रिया, बैठकें बुलाना और आयोजित करना तथा ऐसी समितियों का कार्य संचालन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. परिभाषाएं.—— (1) इन विनियमों मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "सदस्य" से परिषद् के पदेन और गैर–सरकारी सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) "कार्यसूची" से बैठक में संव्यवहारित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य की मद अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "कार्यवृत" से बैठक की कार्यवाही का अभिलेख अभिप्रेत है;

(च) "पीठासीन" प्राधिकारी से सभापतिध्अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया कोई अन्य सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) "गणपूर्ति" से परिषद्ध्समिति के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या, जिनकी उपस्थिति किसी भी बैठक के कार्य के उचित या विधिमान्य संव्यवहार के लिए आवश्यक है, अभिप्रेत है;

(ज) "समिति" से परिषद् द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) अन्य शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगें जो क्रमशः अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।

3. समितियों की नियुक्ति और गठन.——(1) परिषद्, अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के कुशल निवर्हन के प्रयोजन के लिए इसके सदस्यों में से एक या एक से अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगी।

(2) विनियम 3 के उप नियमन (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक समिति, ऐसे सदस्यों की संख्या से गठित होगी, जैसी परिषद् प्रत्येक समिति की बाबत अवधारित करे।

(3) समिति का सदस्य, साधारणतया, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) उप विनियम (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक समिति, अपनी प्रथम बैठक में इसके सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करेगी।

(5) समिति के सदस्यों की नियुक्ति साधारणतया, परिषद् द्वारा इसकी साधारण बैठक में की जाएगी और सदस्य, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(6) रजिस्ट्रार, इन समस्त समितियों का सदस्य सचिव होगा।

(7) परिषद्, यदि आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति, जिसको किसी समिति की बैठक का विशेष ज्ञान हो, उस विषय पर, उसके विचारों को सुनने के लिए आमन्त्रित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का अधिकार नही होगा।

4. बैठकें आयोजित करना.—— परिषद्/समिति कारबार के संव्यवहार हेतु या तो साधारण या विशेष बैठक आयोजित कर सकेगी, इसकी कार्यवाहियों को जैसा उचित समझे, स्थगित और या विनियमित कर सकेगी, परन्तु, तथापि साधारण बैठक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समिति का सभापति/अध्यक्ष किसी भी समय, तत्समय वास्तविक रूप से सेवारत्त समिति के दो–तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर परिषद्/समिति की बैठक आयोजित कर सकेगाय परन्तु विशेष बैठक, सभापति/अध्यक्ष द्वारा केवल तभी बुलाई जाएगी, जब कभी कोई अत्यावश्यक मामला ऐसी बैठक में विचार हेतु हो। परिषद्/समिति की बैठक, साधारणतया परिषद् के मुख्यालय में कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाएगी। प्रत्येक बैठक की सही तारीख, समय तथा स्थान परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा सभापति/अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से नियत किया जाएगा।

5. गणपूर्ति.——(1) परिषद्/समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता क्रमशः सभापति/अध्यक्ष द्वारा की जाएगी या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए परिषद्/समिति के किसी सदस्य द्वारा परिषद्/समिति की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। प्रत्येक बैठक हेतु गणपूर्ति, परिषद्/समिति गठित करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अन्यून से होगी, परन्तु किसी स्थगित बैठक में गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(2) बैठक हेतु नियत समय से पन्द्रह मिनट के भीतर यदि गणपूर्ति नहीं होती है, तो विनियम 4 के अधीन यथा अधिकथित सदस्यों के लिखित अनुरोध पर आयोजित बैठक विघटित की जाएगी, किन्तु किसी अन्य मामले में, किसी भावी दिन या उसी दिन के किसी और समय को स्थगित की जाएगी, जैसा पीठासीन प्राधिकारी स्थगन के समय अवधारित और घोषित करे। यदि ऐसी स्थगित बैठक में नियत समय से पन्द्रह मिनट के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है, तो बैठक हेतु नियत कार्य पश्चातवर्ती बैठक में संव्यवहारित किया जाएगा।

(3) बैठक में नियत कारबार से अन्यथा कोई कार्य ऐसी पश्चातवर्ती बैठक में संव्यवहारित नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसे स्थगन का नोटिस, परिषद् के कार्यालय या बैठक के स्थान पर, उस दिन जब बैठक स्थगित की जाती है, चिपकाया जाएगा।

6. बहुमत द्वारा विनिश्चय.—— विनियम 5 में उपवंधित के सिवाय, परिषद्ध्समिति की किसी बैठक के समक्ष लाए गए समस्त प्रश्न या मदें, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित की जाएगी और मत बराबर होने की दशा में, बैठक के पीठासीन प्राधिकारी का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

7. बैठक हेतु कार्यसूची.——समिति की प्रत्येक बैठक हेतु कार्यसूची, परिषद् के अध्यक्ष से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा तैयार की जाएगी। किसी मद को कार्यसूची में सम्मिलित करने से पूर्व रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि मद को सम्मिलित करने के लिए परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्यसूची में सम्मिलित की जाने वाली प्रत्येक मद, स्वतः स्पष्ट होगी। यदि किसी मद पर समिति का अनुमोदन परिचालन द्वारा अपेक्षित है, तो रजिस्ट्रार द्वारा, उस मद के परिचालन से पूर्व समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

8. बैठक हेतु नोटिस.——(1) रजिस्ट्रार द्वारा, प्रत्येक सदस्य को किसी साधारण बैठक के लिए कम से कम सात दिन का लिखित नोटिस दिया जाएगा। तथापि, असाधारण बैठक दो दिन के नोटिस पर आयोजित की जा सकेगी। बैठक की कार्यसूची की प्रति सदस्यों को या तो नोटिस के साथ या तत्पश्चात यथा शीघ्र सम्भव हो, किन्तु साधारण बैठक से कम से कम 3 दिन पूर्व भेज दी जाएगी।

(2) नोटिस सम्यक रूप से तामील हुआ समझा जाएगा, यदि इसे विहित समय सीमा के भीतर, सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर या सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रार को लिखित में संसूचित रजिस्ट्रीकृत पते पर, डाक द्वारा भेजा गया है।

9. कार्यवृतों की पुष्टि.——(1) परिषद्/समिति की बैठक के कार्यवृत और परिचालन द्वारा पारित प्रस्तावों को, अध्यक्ष/सभापति द्वारा, प्रयोजन हेतु उपबंधित रजिस्टर में दर्ज करवाया जाएगा, जिसे रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(2) कार्यवृत या तो बैठक के दौरान या तत्पश्चात, यथाशीघ्र सम्भव अभिलिखित किए जाएंगे और उस में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगा:–

(i) विशेष आमन्त्रण द्वारा उपस्थित व्यक्तियों सहित समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के नाम;

(ii) प्रत्येक प्रस्ताव के लिए या विरोध में मत कर रहे सदस्यों के नाम, जहाँ पर मतभेद होंय और

(iii) कार्यसूची की प्रत्येक मद के विरूद्ध लिए गए विनिश्चय को संक्षिप्त में दर्शाते हुए बैठक के कार्यवृत।

(3) कार्यवृत इस प्रकार अभिलिखित किए जांएगें जिससे एक अभिलिखित विनिश्चय और अन्य के बीच खाली स्थान न रहे ताकि बाद में प्रक्षेप करने के लिए कोई खाली स्थान न रहे। पीठासीन प्राधिकारी बैठक के पश्चात् यथाशीघ्र सम्भव कार्यवृत्त रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा और प्रक्षेप, मिटाना तथा प्रतिस्थापन, यदि कोई हो, को अनुप्रमाणित करेगा।

(4) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही पीठासीन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी। पीठासीन प्राधिकारी के अनुमोदन तथा हस्ताक्षर के पश्चात् कार्यवाही रजिस्ट्रार द्वारा सम्यक रूप से रखी जाएगी।

(5) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अध्यक्ष और समस्त सदस्यों चाहे वे उपस्थित हों या न हों को दी जाएगी तथा अगली बैठक में इसकी पुष्टि की जाएगी। कार्यवाही के कार्यवृत्त परिषद् के अध्यक्ष को भी भेजे जाएंगे।

(6) कार्यवृत्त रजिस्टर को सावधानीपूर्वक अनुक्रमित किया जाएगा, जब वास्तविक उपयोग में न हो तो रजिस्ट्रार द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(7) समिति का कार्य हिन्दी के देवनागरी लिपि या अंग्रेजी में संव्यवहारित किया जाएगा, जैसा परिषद् समय–समय पर विनिश्चत करे।

10. सदस्यता से हटाना.––परिषद् समिति से किसी भी सदस्य को हटा सकती है;–

(क) जो परिषद् की राय में, पर्याप्त, प्रतिहेतु के बिना परिषद् की चार से अधिक बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है; और

(ख) जो परिषद् की राय में सदस्य के तौर पर पद का दुरूपयोग करता है और उसका समिति का सदस्य बना रहना परिषद् के हित के लिए हानिकर है।

11. बैठक की कार्यवाही का विधिमान्य होना.––जब तक प्रतिकूल सिद्ध न हो, समिति की प्रत्येक बैठक विधिवत आयोजित समझी जाएगी, जब तक बैठक के कार्यवृत्त इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार हस्ताक्षरित किए गए हैं।

————————

हिमाचल प्रदेश प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, शिमला–171005

अधिसूचना

शिमला, ... 2015

संख्या..... हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् के अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 54 की उप धारा (1) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्र संख्याःएएचवाई–ए(3)–1/2009–पी–I तारीख 28/09/2011 द्वारा सूचित, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती हैः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.——(1) समस्त शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं परन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगें जो अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।

3. परिषद् के सदस्यों को संदेय भत्ते.—— (1) परिषद् का प्रत्येक सदस्य परिषद् की बैठक अथवा समिति की बैठक में भाग लेने या अध्यक्ष के आदेशाधीन किसी अन्य कारबार के लिए सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य से सम्बन्धित यात्रा करता है, तो वह दो सौ पचास रूपये की दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

(2) पदेन और गैर–सरकारी सदस्य, परिषद् अथवा समिति की बैठक में उपस्थितध्भाग लेने के लिए उसी दर पर जैसे उनको पदीय हैसियत पर अग्रजेय है, यात्रा भत्ते के लिए हकदार होंगे, परन्तु सह–पशु चिकित्सीय संस्थाओं के निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण दल के सदस्यों को उनके दौरे के दौरान टैक्सी उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि कोई सदस्य, ऐसे स्थान पर निवास कर रह रहा हो जहाँ परिषद् की बैठक आयोजित की गई है, तो वह उपरोक्त विनिर्दिष्ट दरों पर दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का हकदार नहीं होगा, किन्तु उसे अधिकत्तम एस सौ पचास रूपये प्रतिदिन के अध्यधीन, प्रचालित सरकारी दरों पर किराऐ पर लिए गए या अपने वाहन के लिए वास्तविक कीमत अनुज्ञात की जाएगी। परन्तु वास्तविक दावे का संदाय करने से पूर्व, नियन्त्रक अधिकारी यह समाधान होने और ऐसे ब्यौरे प्राप्त होने, जैसे वह उचित समझे के पश्चात् कि वास्तविक व्यय द्वावाकृत व्यय से कम नहीं था, के दावे को सत्यापित करेगा।

(4) परिषद् के सदस्य को, इस प्रभाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि उसने ऐसी यात्राध ठहराव के लिए किसी सरकारी स्त्रोत से कोई भत्ता आहृत नहीं किया है, यात्रा और दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा।

(5) परिषद् के गैर–सरकारी सदस्य, परिषद् या इसकी समिति की बैठक के सबंधं में पहले से ही दिए गए अपने स्थाई निवास के स्थान से और को वास्तव में की गई यात्रा के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगें। यदि कोई गैर–सरकारी सदस्य, परिषद् या इसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्थायी निवास से अन्यथा किसी अन्य स्थान से यात्रा करता है या बैठक में भाग लेने के पश्चात् स्थायी निवास से अन्यथा किसी अन्य स्थान को वापिस लौटता है, तो यात्रा भत्ता, की गई यात्रा की दूरी या स्थाई निवास और बैठक के स्थान की दूरी, जो भी कम हो, के आधार पर बनाया जाएगा।

————————

हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, शिमला–171005

अधिसूचना

शिमला, ...2015

संख्याः..... हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् के अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 54 की उप धारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्र संख्याःएएचवाई–ए(3)–1 / 2009–पी–I तारीख 28 / 09 / 2011 द्वारा सूचित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात.–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (रजिस्ट्रार के विनिश्चय पर अपील की सुनवाई और विनिश्चय की रीति) विनियम, 2015 है।

(2) यह विनियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश, में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाए.**––(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 अभिप्रेत है।

(ख) "अपीलीय समिति" से परिषद् के तीन सदस्यों से गठित समिति अभिप्रेत है।

(ग) "अपीलार्थी" से रजिस्ट्रार के आदेश या विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त है परन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगें जो अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उनके हैं।

3. **अपील.**––रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय, जो उस द्वारा अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम के अधीन किया गया हो, से व्यथित कोई व्यक्ति विनियम 5 के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त अपीलीय समिति को अपील कर सकेगा।

4. **अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करना.––** (1) प्रत्येक अपील.–

(क) आदेश या विनिश्चय जिसके विरूद्ध अपील की जानी है, की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर दायर की जाएगी।

(ख) पाँच सौ रुपए केवल की फीस के संदाय के समाधानप्रद सबूत सहित संलगित होगी;

(ग) लिखित में और सटैंडर्ड वाटर मार्क ज्यूडिशियल पेपर पर लिखी होगी;

(घ) अपीलार्थी का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट होगा;

(ङ) आदेश की तारीख जिसके विरूद्ध इसे किया गया है विनिर्दिष्ट होगी;

(च) आदेश अथवा विनिश्चय किस तारीख को अपीलार्थी को संसूचित किया गया है, विनिर्दिष्ट होगा;

(छ) अपील के तथ्यों और आधार का स्पष्ट विवरण किन्तु स्पष्ट रूप से अन्तर्विष्ट होगा;

(ज) संक्षिप्त में राहत के लिए प्रार्थना कथित होगी; और

(झ) अपीलार्थी द्वारा निम्न प्ररूप में सत्यापित और हस्ताक्षरित होगी, अर्थात:–

"मैं ..... उपरोक्त अपील ज्ञापन में नामित अपीलार्थी एतद्द्वारा द्वारा घोषणा करता हूँ कि इसमें कथित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं।''

.....
हस्ताक्षर के साथ

(2) अपील का ज्ञापन मूल आदेश जिसके विरूद्ध इसे किया गया है अथवा इसकी अधिप्रमाणित प्रति के साथ होना चाहिए, जब तक अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करते समय अपीलीय समिति का समाधान नहीं करता, कि चूक के लिए अच्छा कारण है, जिस मामले में यह ऐसे समय में दायर किया जाएगा जिसे उक्त समिति नियत करे।

(3) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में होगा और अपीलार्थी द्वारा या तो अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा।

5. **अपीलीय समिति.**——विनियम 3 के अधीन प्राप्त अपील, परिषद् के तीन सदस्यों, जिसमें से एक परिषद् द्वारा नियुक्त सभापति होगा, से गठित अपीलीय समिति द्वारा सुनी जाएगी। अपीलीय समिति स्वप्रेरणा से किसी भी व्यक्ति, जिसकी गवाही उसे सारवान प्रतीत हो, को समन जारी कर सकेगी और उसका परिक्षण कर सकेगी।

6. **अपील का संक्षिप्ततः नामंजूर किया जाना.**——(1) अपील का ज्ञापन यदि विनियम 4 के समस्त या किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, तो अपील संक्षिप्ततः नामंजूर की जा सकेगी:

परन्तु इस उप विनियम के अधीन कोई अपील संक्षिप्त रूप में नामंजूर नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी को ऐसा अवसर, जैसा अपीलीय समिति उचित समझे, ऐसी अपील के ज्ञापन का संशोधन करने, जिससे इसको विनियम 4 की अपेक्षा के अनुरूप लाया जा सके, न दिया जाए।

(2) अपील को किसी अन्य आधार पर संक्षिप्ततः नामंजूर किया जा सकेगा, जिसे अपीलीय समिति द्वारा लिखित में अभिलिखित किया जाएगा:

परन्तु इस उप विनियम के अधीन किसी अपील को नामंजूर करने का आदेश पारित करने से पूर्व, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

7. **अपील की सुनवाई.**——(1) अपीलीय समिति यदि अपील को संक्षिप्ततः नामंजरू नहीं करती है तो वह अपीलार्थी को सुनने हेतु तारीख नियत करेगी।

(2) अपीलीय समिति किसी भी प्रक्रम पर, अपील की सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर सकेगी।

(3) यदि, अपीलार्थी, सुनवाई हेतु नियत तारीख पर या जिस तारीख के लिए सुनवाई स्थगित की गई थी, को अपीलीय समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलीय समिति, जैसा वह उचित समझे, अपील खारिज कर सकेगी या इसे एक पक्षीय घोषित कर सकेगी।

(4) जब कोई अपील, उप विनियम (3) के अधीन खारिज कर दी जाती है या एक पक्षीय विनिश्चित कर दी जाती है, तो अपीलार्थी ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर अपीलीय समिति को माफी या अपील की पुनः सुनवाई के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि अपीलीय समिति का समाधान हो जाता है कि जब अपील की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी अपीलार्थी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से निर्वाहित हुआ था, यह खर्चे के विबन्धनों और शर्तों के सहित, ऐसी शर्तों पर अपील को पुनः ग्रहण या पुनः सुनवाई कर सकेगी, जैसी यह उचित समझे।

(5) अपीलीय समिति सुनवाई के पश्चात् जैसा वह उचित और सही समझे, आदेश पारित करेगी। अपीलीय समिति का आदेश अन्तिम होगा।

(6) यदि अपीलीय समिति के सदस्यों की राय में भिन्नता हो, तो वहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा। दो सदस्य से गणपूर्ति होगी। यदि, केवल दो सदस्य उपस्थित हों और दोनो की राय में भिन्नता हो, तो अध्यक्ष का विनिश्चय अभिभावी होगा या उसकी, अनुपस्थित में मामला अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अभिभावी होगा। यथास्थिति, अपीलीय समिति या अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम और वाध्य होगा।

8. **अपील में पारित आदेश की प्रति का प्रदाय.**——अपील में पारित आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क दी जाएगी और दूसरी प्रति परिषद् के रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, जिसका आदेश अपील की विषय वस्तु होगा।

हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, शिमला–171005

अधिसूचना

शिमला, ... 2015

संख्याः.....हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 54 की उप धारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्र संख्याःएएचवाई–ए(3)–1 / 2009–पी–I, तारीख 28 / 09 / 2011 द्वारा सूचित, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (वृत्तिक आचरण के विनियमन के लिए सदाचार संहिता) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाए.–– (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(ख) "परिशिष्ट" से इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत हैं; और

(ग) "रजिस्ट्रीकरण संख्या" से राज्य रजिस्टर के अनुसार सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों को आवंटित संख्या अभिप्रेत है।

(2) समस्त शब्दों और पदों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होगें, जो क्रमशः अधिनियम और तद्धीन विरचित नियमों में उनके हैं।

3. वृत्तिक आचरण के विनियमन के लिए सदाचार संहिता.––अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन यथा अपेक्षित परिषद्, सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी के वृत्तिक आचरण के विनियमन के लिए सदाचार संहिता अधिकथित करेगी।

(1) **घोषणा.––**(क) अधिनियम की धारा 38 के अधीन सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय प्रत्येक आवेदक को घोषणा की एक प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी और वह परिशिष्ट–1 में यथा उपबन्धित सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित घोषणा को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

(ख) आवेदक यह भी प्रमाणित करेगा / करेगी कि उसने उक्त घोषणा पत्र को पढ़ लिया है और वह उस द्वारा की गई उक्त घोषणा का अनुपालन करने हेतु सहमत है।

(2) **वृत्ति का सम्मान.––**एक सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी, अपनी वृत्ति (व्यवसाय) में प्रवेश करने पर वृत्तिक आचरण के सिद्धान्तों के अनुरूप और अपने को एक सज्जन के रूप में पेश आने की बाध्यता उपगत करता है। वह अपने सहकर्मियों के साथ उचित गौरव बनाये रखेगा और उनकी न तो अपने कृत्य से न ही अपने शब्दों से उपेक्षा करेगा।

(3) **चरित्र और नैतिकता का मानदण्ड.––**(क) पशु चिकित्सीय वृत्ति, सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों से उच्चतर स्तर के चरित्र और नैतिकता की अपेक्षा करती है और ऐसे मानक को बनाए रखने के लिए प्रत्येक सह–पशु चकित्सीय व्यवसायी का कर्तव्य (ड्यूटी) है कि वह वृत्तिक और जनता के प्रति उत्तरदायी हो।

(ख) सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी, अपनी वृत्ति की मर्यादा और सम्मान को बनाये रखेगाय और

(ग) पशु चिकित्सीय व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य पशुधन को सेवा प्रदान करना हैय इनाम या वित्तीय लाभ प्राप्त करना एक गौण प्रतिफल है। जो कोई भी इस व्यवसाय को चुनता है, वह इसके आदर्शों के पृष्ठ अनुसार अपने आचरण को व्यवधारित करना अपना दायित्व समझता है। एक सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी को इलाज करने की कला में निपुण एवं पारंगत होना होगा। उसे अपने चरित्र को पवित्र रखना होगा और बीमार पशुधन की देखभाल में सावधानी बरतनी होगी, उसे विनम्र, उदार, संयमी तथा अपने कर्तव्य का बिना चिन्ता के निर्वहन करने में निपुण होना होगा तथा अपनी वृत्ति में और अपने जीवन के समस्त कृत्यों में सुयोग्यता से आचरण करना होगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण संख्या को संप्रदर्शित करना.– प्रत्येक सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् द्वारा उसको प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्या को अपने स्थापन मे संप्रदर्शित करेगा।

(5) **सेवा के लिए पारिश्रमिक.––**(क) सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी को सम्मान के साथ अडिग एकरूपता के साथ समुदाय, जिसमें वह व्यवसाय करता है, में प्रचलित वृत्तिक सेवाओ हेतु पारिश्रमिक के लिए तथा बदलती परिस्थितियाँ स्वीकार करनी होगी।

(ख) सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी बीमार पशुधन और उनके स्वामी के हित को प्राथमिकता देगा। व्यक्तिगत वित्तीय हितों का बीमार पशुधन के हितों के साथ विरोध नहीं होगा। वह सेवा प्रदान करने से पूर्व अपनी फीस की घोषणा करेगा, परन्तु सेवा करने के पश्चात् या सेवा करने के दौरान नहीं करेगा। सेवा प्रदान करते समय बीमार पशुधन के स्वामी को ऐसी सेवा के लिए प्राप्त पारिश्रमिक, जिस रूप में और रकम विशेषरूप से विदित करनी होगी। "कोई संदाय नही कोई देखभाल नहीं" की संविदा करना अनैतिक है। सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी, जो राज्य की ओर से सेवा प्रदान कर रहा है, को पूर्वानुमापित किसी प्रतिफल से दूर रहेगा।

(6) **अनैतिक आचरण प्रकटीकरण.––**सह–पशु चिकित्सा व्यवसायी, बिना भय और पक्षपात के, सह–पशु चिकित्सीय वृत्तिक की ओर से अक्षमता, भ्रष्टता, बेईमान या अनैतिक आचरण को प्रकट करेगा।

4. अनुशासनिक कार्यवाई और दण्ड.––(1) सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी, की वृत्तिक अवचार के सबंधं मे शिकायत, अनुशासनिक कार्यवाई के लिए, परिषद् के अध्यक्ष को की जाएगी। वृत्तिक अवचार की किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, परिषद् जाँच करवाएगी और रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी, यदि सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी वृत्तिक अवचार का दोषी पाया जाता है, तो परिषद् ऐसा दण्ड दे सकेगी, जैसा आवश्यक हो या दोषी रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी के नाम को, सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी के राज्य रजिस्टर सदैव के लिए या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हटाने का निदेश देगी। राज्य रजिस्टर से नाम के लोप को स्थानीय समाचार पत्रों के साथ–साथ सह–पशु चिकित्सीय संघधनिकाय के प्रकाशन (पब्लिकेशन) में व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

(2) यदि राज्य रजिस्टर से नाम हटाने का दण्ड सीमित अवधि के लिए है, तो परिषद् यह भी निदेश दे सकेगी कि इस प्रकार हटाया गया नाम, राज्य रजिस्टर में उस अवधि, जिसके लिए नाम हटाने का आदेश दिया गया था, के अवसान के पश्चात् 100 रूपये (एक सौ रूपये) के संदाय पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(3) दोषी सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी के विरूद्ध शिकायत पर विनिश्चय, छह मास की अवधि के भीतर लिया जाएगा।

(4) शिकायत के लम्बित रहने के दौरान हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, दोषी सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी को व्यवसाय करने से रोक सकेगी।

परिशिष्ट–I

(विनियम 3(1) देखें)

घोषणा

सह पशु–चिकित्सीय व्यवसायी के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रत्येक आवेदक को सम्बद्ध रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित घोषणा की एक प्रति दी जाएगी और आवेदक उसको पढ़ेगा और उसका पालन करेगा।

(1) मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा जीवन पशुधन की सेवा के लिए समर्पित है।

(2) यहाँ तक कि किसी धमकी में, मैं अपने पशु चिकित्सा ज्ञान का उपयोग पशुधन विधियों के विपरीत नहीं करूँगा।

(3) मैं अपने कर्त्तव्य और मरीज के मध्य हस्तक्षेप करने के लिए धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, दल की राजनीति या सामाजिक स्थिति के तर्कों को अनुमति नहीं दूँगा।

(4) मैं विवेक और गरिमा के साथ अपने पेशे का व्यवसाय करुँगा।

(5) मेरे पशुओं का स्वास्थ्य मेरा प्रथम उद्देश्य होगा।

(6) मैं स्वयं में सीमित गोपनीयता का सम्मान करूंगा।

(7) मैं अपनी शक्ति में सभी साधनों द्वारा पशु चिकित्सा वृत्तिक के सम्मान तथा प्रतिष्ठित परम्पराओं को बनाए रखूंगा।

(8) मैं अपने सहयोगियों के साथ सम्मान और मर्यादा से बर्ताव करूंगा।

(9) मैं हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी के पेशेवर आचरण के नियमन के लिए आचार संहिता) विनियम, 2015 में यथा घोषित आचार संहिता का पालन करूंगा।

मैं सत्यनिष्ठ, स्वतन्त्र और सम्मान के साथ यह वचन करता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम .....
स्थान .....
पता ..... दूरभाष संख्या .....
तारीख .....

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश सह–पशु
चिकित्सीय परिषद्, शिमला ।

अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश सह–पशु
चिकित्सीय परिषद्, शिमला ।

स्थान
तारीख

हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, शिमला–171005

अधिसूचना

. शिमला, ... 2015

संख्याः.....हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 54 की उप धारा (1) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्र संख्याःएएचवाई–ए(3)–1 / 2009–पी–I, तारीख 28 / 09 / 2011 द्वारा सूचित, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (रजिस्ट्रार–अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा शर्तें और वेतनमान) विनियम, 2015 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**–– समस्त अन्य शब्दों और पदों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगें जो उनके क्रमशः अधिनियम और तद्धीन विरचित नियमों में हैं।

3. **परिषद् के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभवः––** परिषद् के रजिस्ट्रार की नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2010 की धारा 32 के अधीन यथा आपेक्षित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद् द्वारा की जाएगी, और वह पशु पालन विभाग, के शिमला में सेवारत्त तकनीकी वर्ग–I अधिकारी होना चाहिए।

4. **रजिस्ट्रार के पद की अवधि और सेवा की शर्तें:**––रजिस्ट्रार के पद की अवधि उसकी नियुक्ति की तारीख से पॉच वर्ष की होगी, परन्तु उसके पद की अवधि के अवसान पर रजिस्ट्रार, पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

5. **रजिस्ट्रार को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक और भत्तेः––** (1) विनियम 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार, शिमला में उसके अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन भी करेगा और उसे ऐसा पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जैसा परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए, तथा पारिश्रमिक, परिषद् की निधि में से संदत्त किया जाएगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार को परिषद् या इसकी समिति की बैठक में भाग लेने या लोक हित में परिषद् के किसी कार्य के लिए कोई यात्रा करनी हो तो वह उसी प्रकार के यात्रा और दैनिक भत्तों के आहरण का दायी होगा, जो उसकी पदीय हैसियत से परिषद् की निधि में से उसे अनुज्ञेय है।

6. **कर्मचारीवृन्द (नियमित / संविदात्मक लिपिक एवं कम्पयूटर ऑपरेटर (अराजपत्रित) वर्ग–III और चपरासी / चौकैकीदार (अराजपत्रित) वर्ग––IV के भर्ती औरैर प्रोन्नति नियम).**––हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांय 21) की धारा 54 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन यथा अपेक्षित निम्नलिखित पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों का उसी रीति में, जैसी समय–समय पर राज्य सरकार में लागू है, अनुसरण किया जाएगाः–

1. पद का नाम	लिपिकीय कर्मचारीवृन्द,	= 2

(लिपिक से लिपिकीय कर्मचारीवृन्द, में प्रविष्ट और अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति)

2. पद का नाम	चपरासी	= 1
3. पद का नाम	चौकीदार	= 1

उस समय तक, जब तक उपरोक्त पदों के लिए नियमित / संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ नहीं की जाती है, तब तक परिषद् द्वारा निर्धारित किए गए मानदेय पर पशु पालन विभाग के, सेवानिवृत / सेवारत्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकेंगी, ताकि परिषद् का कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

————————

हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषप्रद्, शिमला–171005

अधिसूचना

शिमला, ... 2015

संख्याः.....हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 54 की उप धारा (1) के खण्ड (झ और ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्र संख्याःएएचवाई–ए(3)–1 / 2009–पी–I तारीख 28 / 09 / 2011 द्वारा सूचित, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः––**(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् (राज्य रजिस्टर और इसके प्ररूप के पुनरीक्षण की रीति) विनियम, 2015 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.––**(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2010 अभिप्रेत है; और

(ख) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगें जो क्रमशः अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।

3. **सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी का राज्य रजिस्टर और इसके पृष्ठों का सत्यापनः–**(1) अधिनियम की धारा 38 की उप–धारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी का राज्य रजिस्टर प्ररूप–क में होगा।

(2) रजिस्ट्रार, सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी के राज्य रजिस्टर को प्रयोग मे लाने से पूर्व, मुख पृष्ठ पर इसमें अन्तर्विष्ट पृष्ठों की संख्या को विनिर्दिष्ट करने का प्रमाण–पत्र देगा। ऐसा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित होगा और तारीख डाली जाएगी।

(3) रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा संख्याकित और सत्यापित किया जाएगा।

4. **नाम में परिवर्तन का रजिस्ट्राार को सूचित किया जाना.––**यदि रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी या सह चिकित्सीय स्थापन अपने नाम में परिवर्तन करता है, तो वह इसके बारे में रजिस्ट्रार को सूचित करेगा और रजिस्ट्रार का समाधान करवाएगा कि उसने नाम परिवर्तन के तथ्य को उस क्षेत्र, जहाँ वह अपना व्यवसाय कर रहा है, में व्यापक परिचालन वाले अग्रणी समाचार–पत्रों में पहले ही सूचित कर दिया है। रजिस्ट्रार समाधान हो जाने पर और दो सौ पचास रूपये की फीस की प्राप्ति पर, तदनुसार परिवर्तित नाम रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में आवश्यक परिवर्तन भी किया जाएगा।

5. राज्य रजिस्टर का पुनरीक्षण और प्रकाशन.––(1) रजिस्ट्रार सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर को प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित करेगा और उसमें निम्नलिखित दर्ज करेगा:–

(क) पहले से ही रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों की संख्या;

(ख) राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण से पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों की संख्या;

(ग) सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों के नाम, जिन्हें राज्य रजिस्टर में पुनः प्रत्यावर्तित किया गया है;

(घ) सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण से पूर्व पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य रजिस्टर से, अधिनियम या नियमों के उपबन्ध जिनके अन्तर्गत नाम हटाये गए हैं, का कथन करते हुए, हटाए गए हैं; और

(ङ) सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण से पूर्व पाँच वर्ष की अवधि के दौरान मृत्यु के कारण हटाए गये हैं।

(2) प्रथम राज्य रजिस्टर को प्रथम परिषद् के गठन की तारीख से 180 दिन के भीतर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) पुनरीक्षित राज्य रजिस्टर को, राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण को पूर्व पाँच वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् 180 दिन के भीतर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और पुनरीक्षण द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, उन पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के वारे में सूचित किया जाएगा।

(4) इस प्रकार प्रकाशित, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या पुनरीक्षित राज्य रजिस्टर की एक प्रति परिषद् के सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर चिपकाई जाएगी।

(5) रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां, विक्रय के लिए परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

(6) रजिस्ट्रार, राज्य रजिस्टर की मुद्रित अन्तःपत्रित (इन्टरलीवड) प्रति रखेगा, जिसमें वह प्रत्येक वर्ष के दौरान कोई प्रविष्टि, परिवर्तन या विलोपन, जो भी आवश्यक हो, करेगा।

6. द्विप्रतीक रजिस्ट्रीकरणी प्रमाण–पत्र जारी करना**रू**– यदि मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र खो जाता, नष्ट हो जाता या विकृत हो जाता है, तो रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत सह–पशु चिकित्सीय स्थापन किसी भी समय जिसके दौरान उसका प्रमाण पत्र प्रवृत है, रजिस्ट्रार को द्विप्रतीक प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार अपना समाधान हो जाने पर केवल दो सौ पचास रूपये की प्राप्ति पर द्विप्रतीक प्रमाण–पत्र जारी करेगा। प्रमाण पत्र के उपरी भाग पर "द्विप्रतीक प्रमाण–पत्र" अंकित किया जाएगा।

7. सत्यापित प्रति के प्रदाय के लिए फीस.– (1) परिषद् या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश की प्रति के प्रदाय के लिए या रजिस्टर में की गई किसी प्रविष्टि के लिए, दस रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यदि आवेदक प्रति के लिए तुरन्त आवेदन करता है, तो उसे यथा उपरोक्त विनिर्दिष्ट फीस की दुगुनी रकम का संदाय करना होगा।

(2) अति आवश्यक आवेदन की दशा में, मांगी गई प्रति उस दिन से आगामी दिन जिसको आवेदन किया गया है, कार्यालय समय की समाप्ति तक, आवेदक को परिदत्त करने के लिए तैयार रहेगी।

8. सह–पशु चिकित्सीय स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.––(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सीय व्यवसायी के प्रर्यवेक्षण और निदेशों के अधीन पशु चिकित्सीय सेवाएं देने के लिए कोई सह–पशु चिकित्सीय स्थापन चलाने का आश्रय रखता है, रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्, शिमला के पक्ष में, केवल एक हजार रूपये की रकम सहित, किसी अनुसूचित बैंक में आहरण किए जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अधिनियम की धारा 28 (2) के साथ पठित प्ररूप–ख में सह–पशु चिकित्सीय स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए परिषद् को आवेदन करेगा। इस प्रकार जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और तत्पश्चात नवीकरण फीस के रूप में पांच रूपये का संदाय करने पर नवीकृत किया जाएगा।

————

प्ररूप–क
(धारा 38 (2) और विनियम 3 (1) देखें)
हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्
सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर

क्रम संख्या	सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी का पिता /पति के नाम सहित पूरा नाम	सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी का पता	संस्थान के नाम सहित अर्हताओं को प्राप्त करने की तारीख	संदत फीस	जन्म की तारीख सहित आयु	सेवा का स्थान
1	2	3	4	5	6	7

रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान और तारीख	तारीख जिसको रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र का अवसान होना है।	नवीकरण की तारीख	सह–पशु चिकित्सीय व्यवसायी का स्टैंम्प के आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं	टिप्पणी, यदि कोई है	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
8	9	10	11	12	13	14

अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्,
शिमला ।

स्थान .....
तारीख .....

————

प्ररूप–ख
(धारा 28(2) और विनियम 8 देखें)
सह–पशु चिकित्सीय स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद्,
शिमला–171005.

श्रीमान जी,

मैं हिमाचल प्रदेश सह–पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 की धारा 27 के अधीन .... तहसील ..... जिला ..... (हि.प्र.) में सह–पशु चिकित्सीय स्थापन की स्थापना करने के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन करता हूँ। अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

(क) आवेदक का विवरणः .....
(ख) आवेदक का नाम .....
(ग) पता .....
(घ) पता, जहाँ पर सह–पशु चिकित्सीय स्थापन क्रियाशील किया जाना है; .....
(गली संख्या, शहर, पिन कोड, दूरभाष संख्या, टेली फैक्स)
(ङ) राज्य रजिस्टर के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख .....

संलग्नकों की सूची;–

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. उपलब्ध अवसंरचना, जैसे रेफ्रिजेरेटर, फर्नीचर, कास्ट्रेटरज और पशु सम्भालने हेतु खुला स्थान।

भवदीय,

(आवेदक)

तारीख .....
स्थान .....

आदेश द्वारा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेशेश सरकार।

————————

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-5, the 19th March, 2015

No. AHY-A(3)-1/09-Part-I.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-ection (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No.21 of 2010), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to formulate the Himachal Pradesh Para-veterinary Council regulations, 2015, namely:--

1. **Short title and commencement**:-- (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council (management of the property, the maintenance and audit of its accounts) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-- (1) in these regulations, unless the context otherwise requires--

(a) "Form" means the form appended to these regulations;
(b) "Regulations" means the Himachal Pradesh Para-veterinary Council regulations 2015;
(c) "Budget" means the budget of the council;
(d) "Committee" means the committee constituted by the council;

(e) "Year" means the year commencing on the 1st day of April and ending on the 31st day of March; and

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in Act and rules framed there under.

3. Acquisition of property.—The Council may acquire property either by purchase or lease for the purpose of the Act.

4. Register of immovable property.—The Council shall maintain a register of immovable property vested in and belonging to it in the **Form-A** appended to these regulations.

5. Maintenance of property.—The Registrar shall maintain upkeep the property and keep the accounts thereof separately.

6. Purchase and acceptance of gift or donation- The Council may also purchase such movable property as may be required, accept the gift or donations thereof and cause it to be entered in the stock register of the Council.

7. Transfer of immovable property- The Council may pass a resolution that any immovable property which is not required by the council in near future may be transferred by sale or lease.

8. Transfer by public auction:--No transfer of immovable property by sale or lease shall be made except by public auction:--

Provided that if the Council is of the opinion that it is not desirable to transfer such property by public auction, it may with the previous approval of the State Government affect such transfer without public auction.

9. Conduct of auction.--The auction of the immovable property of the Council shall be conducted by the Registrar in such manner as may be directed by the Council from time to time.

10. Annual rent payable in advance.-- Every lease of immovable property shall be subject to the condition of payment of annual rent in advance every year during the term of lease.

11. Publication of notice of auction and conditions of sale or lease.--A notice specifying the conditions of sale or lease, the date, time and place of auction by pasting a copy of the notice containing the said information shall be displayed on the notice board of the Council. Where the set up price of the immovable property is more than twenty-five thousand rupees, the said notice shall also be published in a local news paper.

12. Supervision of auction:--The auction shall take place under the supervision of a committee constituted by the Council for the purpose from time to time.

13. Conditions of auction:-The auction shall, in addition to any other conditions, which the Council may think fit to impose ,subject to the following conditions, namely:--

(a) no one shall be allowed to bid unless he has deposited a sum of equal to five percent of the set up price of the property with the officer conducting the auction as an earnest money;

(b) the highest bid shall be accepted subject to the confirmation by the Council:

Provided that the lower bid may be accepted with the previous approval of the State Government.

(c) the person whose bid is accepted shall deposit twenty five percent of the auction price immediately after his bid is accepted. The deposit of earnest money shall be adjusted in the auction price. If bidder fails to deposit twenty five percent of the auction price as required ,the earnest money deposited by him shall be forfeited and the auction shall be treated as cancelled; and

(d) the balance shall be paid and the deed of transfer shall be executed within thirty days of the confirmation of the bid. If he fails to deposit the balance within thirty days of the confirmation of the bid the twenty five percent amount deposited by him shall stand forfeited and the auction shall be treated as cancelled.

14. Refund of earnest money.—(1) the amount of earnest money of the rest of the bidders shall be refunded to the persons concerned.

(2) Where a proposed lower bid is to be accepted under proviso to regulation 13 (b), the amount deposited under regulation 13(c) of the said regulation shall be refunded to the person concerned as soon as may be, after the approval of the lower bid by the State Government.

15. Re-auction of immovable property.— Immovable property whose auction has been cancelled under regulation-13 shall be re-auctioned in the manner provided by these regulations.

16. Maintenance of Books and Registers.—The Registrar shall maintain the following books and registers namely:

(1) Cash book (2) Ledger (3) Diary and Dispatch Register including postage stamp (4) Dead Stock Register (5) Stock Register for printed certificates (6) Receipt Books (7) Register for Grants (8) Vouchers File (9) Attendance Register (10) Register for leave accounts (11) Register required for maintenance of contributory provident funds of the council in case regular employees are appointed (12) Service Books and other registers that may be necessary.

17. Deposit of Council money in the Bank.— The Council shall open an account in such scheduled banks, as it may from time to time determine and all moneys received by it shall be deposited in such banks.

18. Receipt of money on behalf of the Council.—All money payable to the Council shall be received on behalf of the Council by the Registrar or any other employee of the Council authorized by him in this behalf in writing and shall be deposited in the bank as determined by the Council under Regulation 17. A receipt in **Form-B** shall be issued by the Registrar in lieu of having received the money.

19. Operation of the Council Accounts.—The accounts of the Council with a bank shall be operated upon by the Registrar.

20. Permanent Advance.—The Registrar shall have a permanent advance of Rupees Ten thousand only for meeting emergent official expenses.

21. Maintenance of Accounts.—All money received or spent on behalf of Council shall be brought to the accounts of the Council in the General Cash Book to be maintained in the **Form-C** under the direct supervision of the Registrar and all the entries made therein shall be signed by him.

22. Withdrawal from the Council Funds- Withdrawal from the funds of Council shall be made only by means of cheques signed by the Registrar.

23. Payments from Council Funds.-(1) All payments up to rupees five thousand may be made in cash.

(2) Payments over rupees five thousand shall be made by means of cheques and reference to cheque number and date shall be quoted on the bill concerned so as to avoid double payment. All the cheques payable to the third parties will be made over to them for obtaining payment from the bank, provided that the payments of pay and allowances to the staff and honorarium and allowances to the officers of the Council are made in cash, irrespective of the amount.

(3) Whenever money is required to replenish the cash chest it shall be drawn from Council fund by means of cheques in favour of self.

24. Custody of Cash.—(1) All cash in the chest of the Council shall be kept in a strong iron chest under double lock system. All of the keys of the same lock shall not be kept in one person's custody. One of keys of the lock shall be kept by the Registrar and another by the dealing assistant. The chest shall be opened in presence of both the custodian of the keys. Duplicate set of the keys shall be deposited in the Treasury and their inspection shall be done periodically as required under the Treasury Rules.

(2) The Council may allow the accumulation of cash in the Council cash chest up to a maximum limit of rupees ten thousand at one time. But this limit shall however be subject to increase or decrease with the prior approval of the Council in accordance with circumstances prevailing from time to time.

25. Financial Powers.— (1) The Registrar shall be authorized to purchase any article not exceeding rupees ten thousand value. No expenditure exceeding above limits shall be incurred without the previous sanction of the President.

(2) The President may sanction expenditure beyond the limits specified in sub-regulation (1) but not exceeding rupees twenty thousand.

(3) The expenditure exceeding rupees twenty thousand shall in no case be incurred without the approval of the Council.

(4) The Council may delegate its financial or any other powers to the President for smooth running of the business of the Council.

(5) A bill or other Vouchers presented as a claim for money shall be received, examined and paid by the Registrar subject to the said provisions.

(6) The Council shall follow the general guidelines in respect to purchase of store articles issued by the Government from time to time.

(7) All bills when paid shall be stamped with the following Stamp:

_____

Voucher No._____

Date of payment _____

Entered on Cash Book _____

Page No. _____

Signature
Registrar.

---

26. Preparation of Budget.--The Council shall prepare its annual budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Council in **Form-D**, or any other forms as may be approved by the Council, before or by the 31st January preceding the commencement of the said financial year and shall forward five copies of the budget prepared and approved by the Council to the State Government within fifteen days from the date of its approval.

27. Supplementary budget of the Council.— (1) The President may, at any time, during the year for which budget has been prepared, lay a supplementary budget before the Council at a special meeting.

(2) The supplementary budget shall be prepared in the same manner and forms in which annual budget is prepared under regulation-26.

(3) The provisions of regulation-26 shall apply to the supplementary budget as regards to the submission of its copies to the State Government.

28. Budget Head for Expenditure.--All the provisions for various expenditure shall be made under the approved budget and budget code as under—

Budget Code	Budget Head
01	Salary
02	Wages
03	Travelling Expenses
04	Office Expenditure for items like stationery, postage, electricity, water, furniture and Fixture, computer and any other items relating to office use.
05	Liveries
06	Hospitality and meetings
07	Rent, Rate and Taxes
08	Motor Vehicles
09	Construction of Council Building
10	Repair of Council Building
11	Honorarium to Members of the Council
12.	Loans
13.	Execution of Developmental Works.
14.	Advertisement and Publicity
15.	Miscellaneous

29. Application of the Government Rules.—In respect of all matters of procedures or rules or forms for maintaining budget and accounts not specifically provided in these regulations, the procedure or rules or forms in force in the offices of the State Government shall be followed by the Council.

30. Preparation and maintenance of accounts of the Council.—(1) Subject to the provisions of the Act and directions issued by the State Government in this behalf, the Council shall maintain and keep in office proper books of accounts and other relevant records with regard to ;

(a) all sums and money received, spent by the Council and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place; and

(b) the assets and liabilities of the Council.

(2) The Council shall, in each year hold in addition to any other meetings, a meeting as its annual meeting which shall be held within a period of six months ending with the date of closing of financial year.

(3) At every annual meeting of the Council held in pursuance of sub regulation 2 the President of the Council shall lay before the Council;

(a) Balance sheet as at the end of the financial year; and

(b) A profit and loss account for the financial year.

(4) Every balance sheet of the Council shall give true and fair view of the state of affairs of the Council as at the end of the Financial year and shall be in such forms as may be approved by the Council.

(5) The balance sheet and profit and loss account laid under sub-regulation 3(a)and (b)shall be signed on the behalf of the Council by the President and the Registrar.

(6) The balance sheet including the profit and loss account shall be approved by the Council before these are signed on behalf of the Council in accordance with the provisions of sub-regulation (5) and before they are submitted to the auditors for their report thereon.

31. Audit Report.— (1) After the closer of each financial year the annual account shall be prepared by the Registrar under the direction of the President. They shall be audited by registered Chartered Accountant, as soon as possible.

(2) On receipt of the audit report and audit certificate from the registered Chartered Accountant the Registrar shall without loss of any time forward the same to the Director, Animal Husbandry, Himachal Pradesh for his observation and report.

(3) The Director, Animal Husbandry Himachal Pradesh shall within fifteen days of receipt of the same, return the audit report together with his report to the Council for onward transmission to the State Government.

(4) Within seven days from the date of receipt of the report of the Director, Animal Husbandry, Himachal Pradesh, the Registrar shall send a copy of the said report together with a copy of audit report and audit certificate and copy of the profit and loss accounts along with balance sheet to the Government for perusal and such action as may be deemed fit by the State Government.

32. Audit Fee.—The Council shall pay the audit fee as may be fixed by it from time to time.

33. Refund.— Amount received by the Council towards fee shall not be refunded under any circumstances. The amount received as fee or otherwise shall remain credited to the account of the Council:—

Provided that any amount paid by registered Para -veterinary practitioner in excess of the prescribed fee shall be credited to the suspense account of the Council and may be refunded, if claimed within a period of three years and if no claim for refund is made within the aforesaid period the amount shall be credited to the account of the Council.

Form-A

(See Regulation 4)

REGISTER OF IMMOVABLE PROPERTY

1. Serial No._____
2. Name of village or town in which the property is situated_____
3. Description, situation and boundaries of the property_____
4. Khasra No._____ (in case of land)
5. Area or size _____
6. Valuation _____
7. Number and date of Government order transferring the management to the Council_____
8. Description of the property held:-

   (a) Under direct management:-
   (i) Date of acquiring_____
   (ii) No. and date of order authorizing such occupation_____

   (b) Received in donation:—
   (i) The name of the donor_____
   (ii) The approximate value _____

   (c) Purchased or constructed:-
   (i) Date of purchase or sanction of construction_____
   (ii) Value of the property _____

9. Name of the tenant or lease if any, and term of lease _____
10. Date of termination of lease_____
11. Rent per annum _____
12. Method of final disposal of property with number and date of Government orders sanctioning sale, etc, name of purchaser, if any, and amount for which sold_____
13. Whether registration has been done, if yes, give registration number and date, etc._____
14. Signature of the Registrar _____
15. Remarks _____

President
Himachal Pradesh Para-veterinary Council Shimla

Place_____
Dated_____

Form-B
(See regulations -18)

Book No…….
Serial No……..

OFFICE OF THE REGISTRAR
H.P.PARA-VETERINARY COUNCIL,
SHIMLA-171005 SHIMLA-171005
Dated the_____
Received from Shri/Smt.

_____
the sum of Rs._____

_____
Signatures Signatures

Book No……
Serial No…….

OFFICE OF THE REGISTRAR,
H.P. PARA-VETERINARY COUNCIL,

Dated the _____
Received from Shri/Smt.

_____
the sum of Rs._____

_____

_____

Form-C

(See regulations -21)

HIMACHAL PRADESH PARA VETERINARY COUNCIL SHIMLA
GENERAL CASH BOOK
INCOME

Month	Date	Folio number of Classified abstract	Council major/minor and detailed head and subhead of account.	Particular of receipt and name of the persons from whom received.
1	2	3	4	5
Number of Bank Receipt and date	Amount	Daily total	Remittance to Bank, No. and date of Bank receipt.	Amount

EXPENDITURE

Month	Date	Folio number of classified abstract.	Council major/minor and detailed head and sub-head of account.	Particulars charge and name of payee.	Voucher No.	Number and date of cheque	Amount	Daily Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Form-D

(See regulations -26)

BUDGET ESTIMATES

OFFICE OF THE REGISTRAR, HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL SHIMLA

Year_____

INCOME

Budget Code	Budget Head	Estimated Budget of Previous Year	Revised Budget for the previous year.	Actual income of the previous year.	Budget estimated for the year	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

EXPENDITURE

Budget Code	Budget Head	Estimated Budget of Previous Year	Revised Budget for the previous year.	Actual income of the previous year.	Budget estimated for the year	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

President
HP Para- veterinary Council, Shimla

Dated Shimla the_____

_____

HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL, SHIMLA-171005

NOTIFICATION

Shimla-5, the…… 2015

No……In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No.21 of 2010), with the prior approval of the state Government, conveyed vide their letter No. Ahy-A(3)-1/2009-P-1 dated 28.9.2011 the Himachal Pradesh Para-veterinary Council hereby makes the following regulations, namely:--

1. **Short title and commencement**:.— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council (the manner of election of members of the Council) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No. 21 of 2010);

(b) `"Appendix" means the appendix appended to these regulations;
(c) "Form" means the form appended to these regulations;
(d) "Election" means the election to the Council;
(e) "Member" means the ex-officio and non-official members of the Council;
(f) "Returning Officer" means an officer appointed by the State Government for the purposes of election of the non official members of the Council;
(g) "Section" means the section of the Act;
(h) "Committee" means the committee appointed by the Council;
(i) "Chairman" means the Chairman of the Committee; and
(j) "Quorum" means the minimum number of members of the council/ committee whose presence is essential for the proper or valid transaction of business at a meeting;

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in Act and rules made there under.

3. Election of Non-Official Members:.—Election for the non official members will be held after a period of three years or whenever vacancy is caused either due to resignation or death of the sitting member and for this purpose.—

(i) The Registrar shall maintain the register of voters of all electorates of Para-Veterinary Practitioners, cause to be maintained by the Council under sub section (2) of the section 38 of the Act;

(ii) for the purposes of electing the non-official member of the Council under clause (ii) of sub section (1) of section 4 of the Act, the State Government shall, by a notification published in its official gazette, call upon the persons enrolled in the register of voters to elect the said members in accordance with the provision of the Act;

(iii) As soon as may be after the notification is issued, the Registrar shall prepare the electoral rolls in accordance with the provisions contained in clause (ii) of sub section (1) of the section (4) of the Act, which shall contain serial number and the name of every person whose name is entered in the register;

(iv) The Registrar shall publish the electoral roll for inviting claims or objections, by making a copy thereof available for inspection by displaying it in the office of the council; and

(v) every claim for inclusion of a name in the electoral rolls and every objection to an entry therein under clause (iv) of this regulation shall be lodged within a period of 30 days from the date of publication of the electoral rolls in **Forms- A and B** respectively. Every claim in **Form- A** shall be signed by the person who requires his name to be included in the electoral roll whereas every objection in **Form-B** to the inclusion of a name in the electoral roll shall be countersigned by another person whose name is also included in the electoral roll. Such claims and objections, as the case may be, shall be examined by the Registrar who shall record his remarks thereon, following which he may allow or reject the claims or objections provided that the claim or objections shall not be rejected unless the person making it is given an opportunity of making representation against such rejection.

4. Final publication of electoral roll.—(1) The Registrar shall, after disposing of the claims or objections if any under clause (v) of regulation 3 prepare a list of amendment to carry out his decision, to carry out any clerical or printing error and other inaccuracies, in the electoral roll subsequently discovered or brought to his notice.

(2) The Registrar shall publish the electoral roll together with the list of amendments by making a complete copy thereof available for inspection by displaying it in the office of the Council.

(3) On such publication, the electoral roll together with the list of amendments shall be the electoral roll of persons, who may elect the non official members of the Council, in accordance with the provisions contained in clause-(ii) of sub section (1) of section 4 of the Act.

(4) A copy of the electoral roll together with the list of amendments published under sub regulation (2) shall be sent by the Registrar to the State Government.

5. Appointment of Returning Officer and Assistant Returning Officer.—(1) The State Government shall, after receiving a copy of electoral roll published under sub regulation (4) of regulation 4 appoint a Returning Officer who shall be an officer of the State Government.

(2) The State Government may also appoint one or more persons who shall also be officers of the State Government to assist the Returning Officer in the performance of his functions as Assistant Returning Officer.

(3) Every Assistant Returning Officer shall, subject to the control of Returning Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer provided that no Assistant Returning Officer shall perform any of the functions of the Returning Officer relating to the issue of voting papers, counting of voting papers and declaration of result of election.

6. Notice of Election.— (1) Whenever an election is to held to the Council or a vacancy is to be filled, the Returning Officer shall issue a notice as per **Form-C** to all the electors in accordance with the provisions contained in clause-(ii) of sub section (1) of section 4 of the Act, setting for the direction and intimating:--

(a) the date of election;

(b) number of vacancies to be filled;

(c) the date and time by which the candidate should be nominated;

(d) date and time of scrutiny of nomination papers;

(e) date and time by which a candidate can withdraw his candidature; and

(f) ask for any other relevant information in regard to the elector.

(2) A copy of the notice shall be affixed on the notice board in the office of the Registrar as well as published in the leading news papers in English and Hindi.

7. Qualification of Voters.—(1) No person shall be qualified to vote or to be elected unless his name is entered in the register maintained under clause (i) of regulation 3.

(2) A Voter's name shall not be removed from the electoral roll for the reasons that the elector has, subsequent to the publication of final register, ceased to hold the capacity in which he was registered as such provided that a candidate for election must continue to hold the requisite qualification/ capacity by virtue of which he is seeking election.

8. Decision of Returning Officer.—If any question as to whether a person is or is not entitled to vote in the election or to stand for the election, the question shall be referred to the Returning Officer whose decision shall be final.

9. Nomination of candidates.— Every candidate for election shall be nominated by means of nomination paper in **Form-D** which shall be supplied on payment of rupees fifty by the Returning Officer to any elector applying for the same.

10. Nomination Papers.—(1) Every nomination paper shall be subscribed by two electors as proposer and seconder and sent by post or otherwise so as to reach the Returning Officer on or before a date fixed by him, which shall not be less than four weeks before the date appointed for the poll:--

Provided that no elector shall subscribe more nomination papers than there are seats to be filled up:

Provided further that, if an elector subscribes to more number of nomination papers than number of seats to be filled up, the nomination papers first received by the Returning Officer to the number of seats to be filled up shall, if they are otherwise in order, be held to be valid, and if all such nomination papers subscribed by the same elector in excess of number of seats to be filled up or received simultaneously, all such nomination papers shall be held to be invalid.

(2) On receipt of such nomination papers the Returning Officer shall forth with endorse there-in the date and hour of the receipt.

(3) Every candidate shall along with the nomination papers deposit with the Returning Officer a sum of rupees five hundred only as security by way of bank draft or money order in the name of Registrar. If the amount of deposit is remitted by money order, the money order receipt shall be attached to the nomination papers. A nomination paper not accompanied by such deposit or receipt shall not be accepted by the Returning Officer.

11. Forfeiture and refund of security.—The security amount shall be forfeited in the case of a candidate who does not poll more than one sixth of the total poll as a whole or the candidate has polled exactly one sixth of the valid votes polled. The security deposit shall be refunded, if the candidate has withdrawn his nomination paper by communicating the fact to the Returning Officer by the date and time prescribed for the purpose or, if the candidate is elected but he polls less than one sixth of valid votes or, if a contesting candidate dies before the commencement of the poll.

12. Consent to nomination.—(1) The candidate proposed shall sign his nomination paper as a token of his consent to stand for the election.

(2) Elector shall be entitled to nominate as many persons for election as there are vacancies.

13. Rejection of nomination papers.—(1) A nomination paper which is not received before the date and time appointed in that behalf shall be rejected.

(2) A nomination paper without security amount required under sub regulation (3) of regulation 10 will also be rejected.

14. Scrutiny of nomination paper.— (1) All nomination papers shall be scrutinized by the Returning Officer on the date specified for the purpose.

(2) A nomination paper shall be declared invalid;

(a) if a proposer or a seconder has signed the nomination papers of more candidates than the number of vacancies;

(b) if the nomination paper is not signed by the candidate or by the proposer or by the seconder;

(c) if the nomination paper is not addressed to the Returning Officer by name and does not reach him under registered cover or is not delivered to him personally by the date and time notified for the purpose; and

(d) if the candidate has ceased to hold the requisite qualification or capacity by virtue of which he is seeking election.

(3) A candidate or a representative of the candidate appointed by him in writing may be present at the time of scrutiny of nomination papers. A list of candidates, whose nomination papers are declared valid, shall be published alphabetically by affixing the same on the notice board in the office of the Returning Officer on the same day, and a copy of the list shall be forwarded to each of the candidates nominated for election. The list of contesting candidates shall be given wide publicity in such a manner as the Returning Officer may deem fit.

15. Withdrawal from contest.—A candidate may withdraw his name from contesting an electionby presenting a letter of withdrawal duly signed by him and attested by a Gazetted Officer, to the Returning Officer personally or send it by registered post so as it reaches him by the date and time appointed for the purpose. A withdrawal once made shall be final.

16. Election procedure.—(1) if the number of contesting candidates is equal to the number of vacancies all such candidates shall be declared to be duly elected. If the number of such candidates is less than the number of vacancies, all such candidates shall be declared elected and the Returning Officer shall issue fresh notice to fill the remaining vacancies. If the number of such candidates exceeds the number of vacancies to be filled, the Returning Officer shall arrange election through the prescribed procedure. The place, date and time of election shall be notified.

(2) Votes shall be recorded on the ballot paper as per **Form-E.**

(3) Every voter shall have as many votes as there are vacancies or seats to be filled, and a voter in casting his votes shall place on his ballot paper "X" mark in the space opposite the name of the candidate(s) in whose favour he wishes to vote.

(4) In case of election, the Returning Officer shall send to all voters, thirty days prior to the date fixed for election, a notice along with a declaration in **Form-F,** in which the names of all candidates shall be printed in alphabetical order and bearing the Returning Officer's initials. The Returning Officer along with the aforesaid material shall also send to all voters the instructions for election in **Form-G** and a voting paper cover addressed to him (the Returning Officer) and an outer cover also be addressed to him. A certificate of posting shall be obtained in respect of each such letter of intimation sent to an elector:

(5) An elector who has not received the voting and other connected papers sent to him by post or who has lost them or in whose case the papers before their return to the Returning Officer have been inadvertently spoilt, may transmit a declaration to that effect signed by himself and require the Returning Officer to send him fresh papers and if the papers have been spoilt, the spoilt

paper shall be returned to the Returning Officer who shall cancel them on receipt. In every case in which fresh papers are issued a mark shall be placed against the number relating to the elector's name in the electoral roll to denote that fresh papers have been issued.

(6) No election shall be invalidated by reasons of an elector not receiving his voting paper, provided that a voting paper has been issued to him in accordance with these regulations.

17. Votes to be sent by registered post.— Every elector desirous of recording his vote shall, after filling up the declaration paper and the voting paper according to the directions given in the letter of intimation, enclose the cover and the declaration paper in the outer envelope by registered post at the elector's own cost to the Returning Officer, so as to reach him not later than 5 p.m. on the day fixed for the poll. All envelopes received after that day and hour or received by unregistered post shall be rejected.

18. Endorsement by Returning Officer on registered covers.— On receipt of the envelopes by registered post containing the declaration paper and the closed cover containing the voting paper, the Returning Officer shall endorse on the outer envelope the date and time of receipt.

19. Candidates may be present when registered covers are opened.—The Returning Officer shall open the outer envelopes immediately after 5 p.m. on the day fixed for the poll at the place to which the envelopes are addressed to him. Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorized by him in writing to attend at the time the outer envelopes are opened.

20. Rejection of voting papers.—(1) A voting paper cover shall be rejected by the Returning Officer, if:

(a) the outer envelope contains no declaration paper outside the voting paper cover,or
(b) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer, or
(c) the declaration paper is not signed by the elector, or
(d) the voting paper is placed outside the voting paper cover, or
(e) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope.

(2) In each case of rejection, the word" rejection" shall be endorsed on the voting paper cover and the declaration paper. The reasons for the rejection shall also be recorded, in brief, on the voting paper cover.

(3) After satisfying himself that the electors have affixed signatures to the declaration papers, the Returning Officer shall keep all the declaration papers in safe custody pending disposal under sub regulation 4 of regulation 16.

21. Scrutiny and counting of votes.—(1) On the date appointed for the counting of votes, the voting paper covers other than those rejected under regulation 20 shall be opened and scrutinized and the valid votes counted.

(2) Any candidate may present in person or may send a representative duly authorized by him, in writing, to watch the process of counting.

(3) A voting paper shall be invalid if :

(a) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or

(b) a voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it, or makes a mark on it by which it becomes recognizable as his voting paper; or
(c) no vote is recorded thereon; or
(d) it is void for uncertainty of the vote recorded; or
(e) the number of votes recorded there-on exceed the number to be elected; or
(f) the recording of the vote has been done at a place other than that provided for the purpose.

(4) The Returning Officer shall show the voting papers to the candidates or their authorized representatives at the time of scrutiny and counting of votes, if so requested.

(5) If any candidate or his representative makes an objection to the acceptance of a voting paper on the ground that it does not comply with the specified requirements, or to the rejection of a voting paper by the Returning Officer, it shall be decided at once by the Returning Officer whose decision thereon shall be final.

(6) The Returning Officer shall nominate such number of scrutinizers as he deems fit in-accordance with such directions as may be issued in this behalf by the State Government.

22. Declaration of result.—(1) When the counting of votes has been completed the Returning Officer shall prepare the result sheet in **Form-H** and shall draw up a list of candidates in the order of higher votes polled by each and shall declare the result of the successful candidates in that order according to the number of seats to be filled up.

(2) If any candidate thus declared refuses to accept the election, then in the place of that candidate one of the remaining candidates to whom the next largest number of votes have been cast shall be deemed to have been elected, and the same procedure shall be adopted as often as a vacancy is caused in this way.

(3) When there is equality of votes among any two or more candidates, then the person, as the case may be, who shall be deemed to have been elected shall be determined by lots to be drawn by the Returning Officer or any other Officer authorized by him in such manner as he may determine.

(4) The Returning Officer shall, as soon as the result is declared, inform each successful candidate of his being elected to the Council.

23. Voting papers to be retained for six months.— Upon the completion of the counting and after the result has been declared, the Returning Officer shall seal up the voting papers and all other documents relating to the election, and shall retain the same for a period of six months, and shallnot destroy or cause to be destroyed these records even after the expiry of the said six months without the previous approval of the State Government.

24. Intimation of results of election.—(1) The Returning Officer shall intimate the names of the elected candidates to the State Government. The State Government shall then publish the result in the Official Gazette.

(2) In case of any dispute regarding the election, which may be lodged with the Returning Officer within fifteen days of declaration of the results of that election, it shall be referred to the Council for its decision.

25. Election petitions.—(1) A petition in respect of matters brought to the notice of the Returning Officer as mentioned under sub regulation (2) of regulation 24 and a petition on any of the following points in connection with the election shall reach the Registrar within 15 days of the declaration of the result, with a fee of rupees five hundred:--

(a) alleging failure of the Returning Officer to discharge his duties;
(b) allegation regarding the secrecy of ballot having been infringed by the Returning Officer; and
(c) allegations regarding any corrupt practice having been indulged in by any party to the election either itself or by its agents, with or without the knowledge of the party concerned.

(2) The petition received under sub regulation (1) of regulation 25 shall be heard by a Committee consisting of three members of the Council, one of whom shall be the Chairman, appointed by the Council. The Committee may suo moto summon and examine any person whose evidence appear to it be material. At the conclusion of its proceedings the Committee shall make an order.—

(a) dismissing the election; or

(b) declaring the election of all or any of the returned candidates to be void.

(3) If there is difference of opinion between the members of the Committee, the decision of the majority shall prevail. Two members shall form the quorum. If only two members are present and there is difference of opinion between them, the decision of the Chairman shall prevail, or in his absence the matter shall be referred to the Chairman and his decision shall prevail. The decision of the Committee or the Chairman, as the case may be, shall be final and binding.

(4) An election shall not be invalid by reason of non- receipt of any notice, or because a voter has failed to receive the ballot paper or has not received it in time to return it to be Returning Officer by the time prescribed for the purpose, or his name has not been included in the list of voters for any reason whatsoever.

Form-A
(See regulation 3(v))
CLAIM FOR INCLUSION OF A NAME IN THE ELECTORAL ROLL

To

The Registrar
Himachal Pradesh Para Veterinary Council
Shimla.

Sir,

I do hereby file, under clause (v) of regulation 3 of the Himachal Pradesh Para Veterinary Council (Election of Non-Official Members) Regulations-2015 framed under the Himachal Pradesh Para-Veterinary Council Act, 2010 (21 of 2010), my claim for inclusion of my name in the electoral roll for the ensuing election to the Himachal Pradesh Para Veterinary Council under clause (b) of sub-section (1) of section 54 of the aforesaid Act.

The relevant details are given below:--

Name (In block letters)…….
Address……..……
……
Academic qualifications…….

Designation and official address, if any…….
……..
Grounds for the claim (with Proof if any……..
……..

I declare that I am a citizen of India, residing in…….. State and practicing in ……/ employed in …….. State.

Signature of claimant

Place……
Date……

Form-B

(See regulation 3 (v)

OBJECTION TO ANY ENTRY IN THE DRAFT ELECTORAL ROLL

To

The Registrar
Himachal Pradesh Para Veterinary Council
Shimla.

Sir,

I do hereby file, under clause (v) of regulation 3 of the Himachal Pradesh Para Veterinary Council (Election of Non-Official Members) Regulations-2015 framed under the Himachal Pradesh Para-Veterinary Council Act, 2010 (21 of 2010), my objection to the following entry in the electoral roll prepared by you in connection with the ensuing election to the Himachal Pradesh Para Veterinary Council under clause (b) of sub-section (1) of section 54 of the aforesaid Act.

(a) Name of the persons(in block letters) the entry of whose name in the electoral roll is objected to……...

(b) Particulars of entry objected to……..

(c) Grounds of objections to the entry ……

(Signature of the objector)

Place……..
Date……

Serial No. and name of objector, as entered the Electoral

Roll…….

Address of the objector……..
Address of the person countersigning ……..
……..

Form-C

(See regulation 6 (1)
PARA VETERINARY COUNCIL HIMACHAL PRADESH
NOTICE OF ELECTION PROGRAMME

Notice is hereby given that:--

(a) An election is to be held for electing, five members from amongst the registered para veterinary practitioners entered in Register maintained by the Registrar under regulation 3 (1) of the Himachal Pradesh Para Veterinary Council (Election of Non-Official Members) Regulations 2015 on ……. (date);

(b) Nomination paper may be delivered by a candidate or his proposer in person or by post to the Returning Officer on or before……;

(c) Form of nomination paper may be obtained from the Returning Officer from his office on any working day on payment of rupees fifty only;

(d) The nomination paper will be taken up for scrutiny on ……..(date);

(e) Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer, duly authorized in writing by the candidate for the purpose, to the Returning Officer up to……..(hours)…… on ……(Date);

(f) Counting of votes shall be done on …….. at…….. in the office of the Returning Officer at …….. and marked ballot papers received up to the aforesaid date and time only shall be counted; and (g) The result shall be declared immediately after counting of votes.

……
Name
Returning Officer

Place……
Date……

Form-D
(See regulation 9)
NOMINATION PAPER
ELECTION TO THE PARA VETERINARY COUNCIL, HIMACHAL PRADESH

I …….nominate Shri……as member to the Council:

Candidate's Father's or Husband's name…… serial No. in the Register…….. entered in Register maintained by the Registrar under regulation 3(1) of the Himachal Pradesh Para Veterinary Council (Election of Non-Official Members) Regulations-2015.

His name is entered at Serial No…… of the electoral roll.

My name (proposer's name) is entered at serial No…….. in the electoral roll.

Signature of Proposer,
Serial No. in the Register……

……

I……Second the nomination of Shri……

Signature of Seconder,
Serial No. in the Register……..

……

I,…… the above mentioned candidate assent to this nomination and hereby declare that my name is entered at Serial No……. in the electoral roll.

Signature of Seconder,
Serial No. in the Register……..

Date……..

(To be filled in by the Returning Officer)

Sr. No. of Nomination Paper……

This nomination paper was delivered to me at……. (place) at……..(time)…… on……. (date) by…… candidate/ proposer…… (name).

Returning Officer

Date……

(Decision of the Returning Officer accepting or rejecting the nomination papers)

I have examined this nomination paper in accordance with law and decide as follows:

Date……

Returning Officer

Form-E
(See regulation 16(2))
VOTING PAPER

1. Serial No. of Voting paper.
2. Himachal Pradesh Para Veterinary Council.
3. Number of Members to be elected……(Number to be indicated)
4. Postal Ballot Paper for candidates of Para Veterinary Practitioners or Para- veterinary Institutions/Establishments……
   ……

Sr.No.	Name of candidates duly nominated	Vote
1	……	
2	……	

3 .....
4 .....
5 .....

Initials/ facsimile signature of
Returning Officer.....

Instructions:

1. Only five members are to be elected from amongst the candidates of Para Veterinary Practitioners, therefore mark only against five candidates;

2. Each elector has the right to vote for as many candidates as the number of members to be elected.

3. The elector shall vote by placing the mark"X" opposite the name of the candidate whom he prefers.

4. The voting paper shall be invalid if—

   (a) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signatures; or

   (b) the voter signs his name or writes a word or mark any mark on it, by which it become recognizable as his voting paper; or

   (c) no vote is recorded thereon; or

   (d) the mark "X" is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply, or if it is placed against the names of more number of candidates than required to be elected.

Form-F
(See regulation 16(4))
DECLARATION PAPER

Election to the Himachal Pradesh Para Veterinary Council under section 54 (1) (b) of the Himachal Pradesh Para Veterinary Council Act,2010 (Act No. 21 of 2010).

Serial No.....
Elector's name.....
Number on the electoral roll, if any.....

ELECTOR'S DECLARATION

I..... (Name in full, and designation, if any) declare that I am an elector for the election of members to the Himachal Pradesh Para -veterinary Council by the electorate under clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Para Veterinary Council Act, 2010 (Act of 21 of 2010) and that I have submitted no other voting paper at this election.

Signature of elector.....
Address.....

…………………………………………………....
…………………………………………………….

Station……………………..
Dated……………………..

Form-G
(See regulation 16(4))
LETTER OF INTIMATION

Sir/Madam,

The person whose names are printed on the voting paper sent here with, have been duly nominated as candidates for election to Para Veterinary Council of Himachal Pradesh. Should you desire to vote at the election, I request that you will:--

(a) Fill up and sign the declaration paper;

(b) Mark your vote in the column provided for the purpose in the voting paper as per instructions printed on the voting paper;

(c) Enclose the voting paper in the smaller cover and stick it up; and

(d) Enclose the small cover and the declaration paper in the other envelope which is larger and on which my address is already printed and return the same to me by post at your cost or deliver it in person in my office so as to reach me not later than……. On the…………… of 20………..

1. The voting paper shall be rejected if:—

(a) the outer envelope enclosing the voting paper cover and the declaration paper is not sent by post or not delivered in person in my office or received later than the hour fixed for the closing of the poll; or

(b) the outer envelope contains no declaration paper outside the smaller cover; or

(c) the voting paper is placed outside the voting paper cover; or

(d) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer to the voter; or

(e) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope; or

(f) the declaration is not signed by the elector; or

(g) the voting paper is invalid.

2. A voting paper shall be invalid if-

(i) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or
(ii) a voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it or makes any mark by which it becomes recognizable as his voting paper;

(iii) no vote is recorded thereon; or
(iv) the number of votes recorded thereon exceeds the number to be elected ; or
(v) it is void for uncertainty of the vote exercised.

3. If a voter inadvertently spoils the paper, he can return it not later than fifteen days before the date appointed for the poll, to the Returning Officer who will, if satisfied of such inadvertence, issue him another voting paper.

4. The scrutiny and counting of votes will begin on……(date) at……(hour).

5. No person shall be present at the scrutiny and counting except the Returning Officer or such other persons as he may appoint to assist him, the candidates of their duly authorized representatives.

Returning Officer

Dated……
Place…….

Form-H
(See regulation -22(1))
RESULT SHEET OF CANDIDATES CONTESTED THE ELECTION FOR PARA VETERINARY COUNCIL

Total No. of Ballot papers	Total ballot papers polled	Total ballot papers rejected	Total valid ballot papers accepted	Total Valid votes	Name of candidates	Counting of valid votes polled ballot wise	Total votes received by each candidate.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 ……..
2 ……..
3 ……..
4 ……..
5 ……..
6 ……..

Total valid votes…….

Place:

Date:

Registrar
Himachal Pradesh Para Veterinary Council
Shimla

HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL, SHIMLA-171005.

NOTIFICATION

Shimla-5, the ……. 2015

No. …… In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No.21 of 2010), with the prior approval of the state Government conveyed vide their letter No. Ahy-A(3)-1/2009-P-1 Dated 28.9.2011 the Himachal Pradesh Para-veterinary Council hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement.--(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council (Powers and duties of the President and Vice-President) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-- (1) in these regulations, unless the context otherwise requires,--

(a) "Agenda" means the item of business proposed to be transacted at a meeting; and
(b) "Minutes" means the record of proceedings of the meeting.

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in Act and rules made thereunder.

3. Powers and duties of President.-- The President of the Council—

(i) will hold and preside over the meeting either ordinary or special for the transaction of business, adjourn and or regulate it and its proceedings as deemed fit, provided, however that an ordinary meeting shall be held once at least in three months.

(ii) at any time and shall on receipt of written request of two third of the members actually serving for the time being, convene a meeting of the Council provided that the special meeting shall be called by the President alone, whenever there is an urgent matter for consideration at such a meeting.

(iii) will approve the exact date, time and place of each meeting.

(iv) will approve the agenda for each meeting of the council which will be further prepared by the registrar and circulated to the members.

(v) will cause minutes of the meeting to be recorded either during the meeting or as soon thereafter as possible.

(vi) may sanction expenditure not exceeding Rupees Twenty Thousand.

(vii) may at any time during the year for which budget has been prepared and approved by the council, lay a supplementary budget before the council at a special meeting.

(viii) shall lay before the council, at every annual meeting of the council all accounts.

(ix) shall direct the Registrar to prepare the audit report after the closure of each financial year.

(x) shall be the controlling officer in respect of travelling allowances bills of the members of the Council.

4. Powers and Duties of Vice President.--The Vice President will preside over all the meetings in the absence of the President.

5. Honorarium of President and Vice President.- The President and Vice President shall be paid an honorarium as decided by the Council.

HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL, SHIMLA-171005

NOTIFICATION

Shimla-5, the…… 2015

No. ……In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No.21 of 2010), with the prior approval of the state Government conveyed vide their letter No. Ahy-A(3)-1/2009-P-1 dated 28.9.2011 the Himachal Pradesh Para-veterinary Council hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement.-- (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council (Mode of constitution of committees, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such committees) Regulations, 2015.

(2) They regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--

(a) "Member" means the ex-officio and non-official members of the Council;
(b) "Section" means the section of the Act;
(c) "Agenda" means the item of business proposed to be transacted at a meeting;
(d) "Chairman" means the chairman of the committee;
(e) "Minutes" means the record of proceedings of the meeting;
(f) "Presiding Authority" means the President /Chairman or in his absence any other member chosen to preside by the members present at the meeting;
(g) "Quorum" means the minimum number of members of the council/committee whose presence is essential for the proper or valid transaction of business at a meeting;
(h) "Committee" means the committee constituted by the council;

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in Act and the rule made thereunder.

3. Appointment and constitution of the committees.-- (1) The council may, for the purpose of securing efficient discharge of its functions under the Act, appoint one or more committees out of its members.

(2) Each committee appointed under sub regulation (1) of regulation 3 shall consist of such number of members as the Council may determine in respect of each committee.

(3) A member of a committee shall hold office ordinarily for one year from the date of notification and shall be eligible for re-appointment.

(4) Every committee appointed under sub regulation (1) shall at its first meeting elect one of its members to be the Chairman.

(5) The appointment of members of the committee shall ordinarily be made by the Council at its ordinary meeting and members shall hold office for a period of one year from the date of notification.

(6) The Registrar shall be the Member Secretary of all these Committees.

(7) The Council may, if thinks necessary, invite any person having special knowledge to the meeting of any of the committee to hear his/her views on the subject. Such person shall have a right to take part in the discussions but shall not have a right to vote.

4. Holding of meetings.— Council/ Committee may hold a meeting either ordinary or special for the transaction of business, adjourn and or regulate it and its proceedings as deemed fit, provided, however that an ordinary meeting shall be held once at least in three months. The President/Chairman of the Committee may, at any time and, shall on receipt of written request of two third of the members of the committee actually serving for the time being, convene a meeting of the Council/Committee provided that the special meeting shall be called by the President/Chairman alone, whenever there is an urgent matter for consideration at such a meeting. The meeting of the Council/Committee shall normally be held at the Head office of the Council during office hours. The exact date, time and place of each meeting shall be fixed by the Registrar of the Council with the prior approval of the President/Chairman.

5. Quorum.-- (1) All meetings of the Council/Committee shall be presided over by the President/Chairman respectively or in his absence any member of the Council/Committee chosen by the members, present shall preside over the meeting of the Council/Committee. The quorum for each meeting shall not be less than one half of the total number of members constituting the Council/Committee, provided that in an adjourned meeting no quorum will be required.

(2) If within fifteen minutes from the time appointed for the meeting, a quorum is not present the meeting if convened on the written request of the members as laid down under regulation-4 shall be dissolved, but in any other case shall stand adjourned to any future day or to any hour of the same day, as the presiding authority may determine and announce at the time of adjournment. If at such adjourned meeting a quorum is still not present within fifteen minutes from time appointed, the business set down for the meeting shall be transacted at the subsequent meeting.

(3) No business other than the business fixed for the meeting shall be transacted at such subsequent meeting.

(4) A notice of such adjournment shall be affixed in the office of the Council or at the place of meeting, on the day on which the meeting is adjourned.

6. Decisions by majority of votes.--Save as otherwise provided in regulation-5, all questions or items brought before any meeting of the Council/Committee, shall be decided by a majority of votes of the member present and in case votes being equal the presiding authority at the meeting shall have a second or casting vote.

7. Agenda for the meeting.--The agenda for each meeting of the Committee shall be prepared by the Registrar on the basis of proposals received from the President of the Council. Before any item is included in the Agenda the Registrar will ensure that the item has been approved

for inclusion by the President of the Council. Each item to be included in the agenda shall be self explanatory. If approval of the committee is required on any item by circulation, approval of the President of the Council shall be obtained by the Registrar before circulation of that item.

8. Notice for the meeting.-- (1) At least seven days notice in writing for an ordinary meeting shall be given to each member by the Registrar. An extra ordinary meeting may however be convened at two days notice. A copy of the agenda of the meeting shall be sent to the members either with the notice or as soon thereafter as possible, but at least three days before the ordinary meeting.

(2) A notice shall be deemed to be duly served, if it is sent within the prescribed time limit to the members personally or by post at the registered address communicated by the members in writing to the Registrar.

9. Confirmation of minutes.--(1) The President /Chairman shall cause minutes of meeting of the Council/Committee and of the resolutions passed by circulation, to be entered in the book provided for the purpose, which shall be kept in the custody of the Registrar.

(2) The minutes shall be recorded either during the meeting or as soon there after as possible and shall contain;

(i) the names of all the members present at each meeting of the committee including persons present by special invitation;

(ii) the names of the members voting for or against each resolution, where a division is called; and

(iii) the minutes of the meeting, giving briefly the decision taken against each item of the agenda.

(3) The minutes shall be so recorded as to leave no blank space between one recorded decision and the other, so that no space is left for any interpolation at later stage. The Presiding Authority shall sign the Minutes Book as soon as possible after the meeting and attest the interpolations, erasions and substitutions, if any.

(4) The proceedings of each meeting shall be approved by the Presiding Authority. After approval and signatures of the Presiding Authority the proceedings shall be duly kept by the Registrar.

(5) A copy of the proceedings of each meeting shall be supplied to the Chairman and all the members whether present at the meeting or not and got confirmed in the next meeting. The minutes of the proceedings shall also be forwarded to the President of the Council.

(6) The Minutes Book shall be carefully indexed and, when not in actual use, shall be kept by the Registrar in his safe custody.

(7) The business of the committee shall be transacted in English or Hindi in Devnagri Script, as the Council may decide from time to time.

10. Removal from membership.--The Council may remove, from the committee, any member:

(i) who, without excuse, sufficient in the opinion of the Council, is absent for more than four consecutive meetings of the committee; and

(ii) who has, in the opinion of the Council so abused his position as a member as to render his continuance on the committee detrimental to the interest of the Council.

11. Proceedings of meeting to be valid.—Until the contrary is proved, every meeting of the committee shall be deemed to have been duly convened when the minutes of the meeting have been signed in accordance with the provisions of these regulations.

HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL, SHIMLA-171005

NOTIFICATION

Shimla-5, the……. 2015

No. ……. In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No.21 of 2010), with the prior approval of the state government conveyed vide letter No. Ahy-A(3)-1/2009-P-1 Dated 28.9.2011 the Himachal Pradesh Para-veterinary Council hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement.--(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council (Travelling and Other allowances payable to the Non-official Members of the Council) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—All words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as have been assigned to them in Act and the rules made thereunder.

3. Allowances payable to the members of the council.—(1) Each member of the council shall be entitled to draw daily allowance at the rate of rupees two fifty only for each day of attendance at the meeting of the council or its committee or in respect of journey under taken under the orders of the President for any other business any where in connection with his duties as a member.

(2) Ex-officio and non official members shall be entitled for travelling allowance for attending the meeting of the council or committees at the rate admissible to them in the official capacity:

Provided that during inspection of Para-veterinary institution the members of the inspection team shall be provided a taxi during their tour.

(3) In case a member is residing at a place where meeting of the Council is held, he shall not be entitled to daily allowance and travelling allowance at the rates specified above, but shall be llowed only the actual cost for the conveyance hired or prevailing Government rates for his own vehicle, subject to a maximum of rupees one hundred and fifty per day. Before the claim is actually paid, the controlling officer shall verify the claim and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

(4) The travelling and daily allowances shall be admissible to a member of a Council on production of a certificate by him to the effect that he has not drawn any such allowance for such journey/halts from any Government source.

(5) The non-official members of the Council shall be eligible for travelling and daily allowances for the journeys actually performed in connection with the meetings of Council or its Committees from and to the place of their permanent residence to be named in advance. If any nonofficial member performs a journey from a place other than a place of permanent residence to attend a meeting of Council or its Committees or, returns to the place other than a place of permanent residence after attending the meeting, travelling allowance shall be worked out on the basis of distance travelled or the distance between the place of permanent residence and the venue of the meeting which ever is less.

HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL, SHIMLA-171005

NOTIFICATION

Shimla-5, the…….. 2015

No. …….. In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No.21 of 2010), with prior approval of the state Govt. conveyed vide letter No. Ahy-A(3)-1/2009-P-1 dated 28.9.2011 the Himachal Pradesh Para-veterinary Council hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement: -(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council (Manner to hear and decide appeals from the decision of the Registrar) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--

(a) "act means the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010
(b) "appellate committee" means committee consisting of three members of the Council; and
(c) "appellant" means person aggrieved by an order or decision of the Registrar.

(2) All words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in Act and rules made thereunder.

3. Appeal.--Any person aggrieved by an order or decision of the Registrar, made by him under act or rules made there-under may appeal to the Appellate Committee appointed by the Council under regulation 5.

4. Submission of Memorandum of Appeal.-- (1) Every appeal shall;

(a) be filed within sixty days from the date of communication of the order or decision against which the appeal is to be filed.
(b) be accompanied by a satisfactory proof of payment of a fee of rupees five hundred only.
(c) be in writing and written on the standard water mark judicial paper;
(d) specify the name and the address of the appellant;
(e) specify the date of the order against which it is made;

(f) specify the date on which the order or decision was communicated to the appellant;
(g) contain a clear statement of facts and grounds of appeal briefly but clearly set out;
(h) state precisely the relief prayed for; and
(i) be signed and verified by the appellant in the following form namely:--

"I ---------- the appellant named in the above memorandum of appeal do hereby declare that what is stated herein is true to the best of my knowledge and belief"

(Signatures)

(2) The memorandum of appeal shall be accompanied by an order in original against which it is made or duly authenticated copy thereof, unless the appellant satisfies the Appellate Committee at the time of presentation of the appeal that there is good cause for omission in which case it shall be filed within such time as may be fixed by the said committee.

(3) The memorandum of appeal shall be in duplicate and shall either be presented to the Appellate Committee by the appellant or sent to such committee by registered post.

5. Appellate Committee.-- The appeal received under regulation 3 shall be heard by an Appellate Committee consisting of three members of the council, one of whom shall be the Chairman, appointed by the Council. The Appellate Committee may suo moto summon and examine any person whose evidence appears to it to be material.

6. Summary rejection of appeal.-- (1) If the memorandum of appeal does not comply with all or any of the requirements of regulation 4, the appeal may be summarily rejected;

Provided that no appeal shall be summarily rejected under this sub regulation unless the appellant is given such opportunity as the appellate committee thinks fit to amend such memorandum of appeal so as to bring it in conformity with the requirement of regulation 4.

(2) An appeal may be summarily rejected on any other grounds which shall be recorded in writing by the appellate committee;

Provided that before passing any order rejecting any appeal under this sub regulation, the Appellant shall be given reasonable opportunity of being heard.

7. Hearing of Appeal.--(1) If the appellate committee does not reject the appeal summarily, it shall fix the date for hearing the appellant.

(2) The appellate committee may at any stage adjourn the hearing of an appeal to any other date.

(3) If on the date fixed for hearing or any other date to which the hearing is adjourned, the appellant does not appear before the appellate committee in person, the appellate committee may dismiss the appeal or may declare it ex-party as it thinks fit.

(4) When an appeal is dismissed or decided ex-party under sub-regulation (3), the appellant may, within 30 days from the date of communication of such order apply to the appellate committee for remission or re-hearing of the appeal and if the appellate committee is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, when the appeal was called for hearing, it may re-admit or re-hear the appeal upon such terms including terms as to cost and conditions as it may think fit.

(5) After hearing, the appellate committee shall pass an order as it thinks fit and just .The order of the appellate committee shall be final.

(6) If there is difference of opinions between the members of appellate committee, the decision of majority shall prevail. Two members shall form the quorum. If only two members are present and there is difference of opinion between them, the decision of the Chairman shall prevail, or in his absence the matter shall be referred to the Chairman and his decision shall prevail. The decision of the appellate committee or the Chairman, as the case may be, shall be final and binding.

8. Supply of copy of order passed in appeal.--A copy of the order passed in appeal shall be supplied free of cost to the appellant and another copy shall be sent to the Registrar of Council whose order form the subject matter of the appeal.

HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL, SHIMLA-171005

NOTIFICATION

Shimla-5, the……. 2015

No. …….. In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No.21 of 2010), with prior approval of the state Govt. conveyed vide letter No. Ahy-A(3)-1/2009-P-1 dated 28.9.2011 the Himachal Pradesh Para-veterinary Council hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement.--(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council (code of ethics for regulating the professional conduct) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act means the Himachal Pradesh Para –veterinary council Act, 2010
(b) "Appendix" means the appendix appended to these regulations; and
(c) "Registration number" means the number allotted to the Para-veterinary practitioner as per State Register.

(2) All words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in the Act and rules made thereunder.

3. Code of ethics for regulating the professional conduct.—As required under clause (C) of sub section (2) of Section 18 of the Act, the Council shall lay down the code of ethics for regulating the professional conduct of Para Veterinary Practitioners.

(1) Declaration.-- (a) each applicant, at the time of making an application for registration as Para Veterinary Practitioners under section 38 of the Act, shall be provided a copy of the declaration and shall submit a duly signed declaration as provided in **Appendix-1** to the Registrar.

(b) the applicant shall also certify that he/she has read and agrees to abide by the said declaration made by him/her.

(2) Honour of the profession.--A Para Veterinary Practitioner on entering his profession incurs an obligation to conform to the principles of professional conduct and to comport himself as a gentleman. He shall cherish a proper pride in his colleagues and disparage them neither by act nor by words.

(3) Standard of character and morals.--(a) The Veterinary Profession expects from Paraveterinary Practitioner the highest type of character and morals and to attain such a standard is a duty of every Para- veterinary Practitioner owes alike to the profession and to the public.

(b) a Para Veterinary Practitioner shall uphold the dignity and honour of his profession; and

(c) the prime object of the Veterinary profession is to render service to the livestock; reward or financial gain is a subordinate consideration. Who-so-ever chooses this profession, ssumes the obligation to conduct him in accordance with its ideals. A Para Veterinary Practitioner shall be an upright man, instructed in the art of healings. He shall keep himself pure in character and be diligent in caring for the sick livestock; he shall be modest, sober, patient, prompt in discharging his duty without anxiety; conducting himself with propriety in his profession and in all the action of his life.

(4) Display of registration number.-- Every Para-veterinary Practitioner shall display the registration number accorded to him by the Himachal Pradesh Para-veterinary Council in his establishment.

(5) Remuneration for service.--(a) a Para-veterinary Practitioner shall deem it a point of honour to adhere, with as much uniformity as the varying circumstances will admit, to the remuneration for professional services, prevailing in the community in which he practices.

(b) The Para- veterinary Practitioner shall give priority to the interest of the ailing livestock and its owner. The personal financial interests shall not conflict with the interest of the ailing livestock. He shall announce his fees before rendering service and not after the services or under way. Remuneration received for such services shall be in the form and amount specifically announced to the owner of the ailing animal at the time the service is rendered. It is unethical to enter into a contract of "no payments no care". The Para-veterinary Practitioner rendering service on behalf of the State shall refrain from anticipating any consideration.

(6) Exposure of unethical conduct.--A Para-veterinary Practitioner shall expose, without fear or favour, incompetent, corrupt, dishonest or unethical conduct on the part of the Para Veterinary Profession.

4. Disciplinary action and punishment.--(1) Any complaint with regard to professional misconduct of Para-veterinary Practitioner shall be made to the President of the council for disciplinary action. Upon receipt of any complaint of professional misconduct, the council shall hold an enquiry and give an opportunity to the Registered Para Veterinary Practitioner to be heard in person. If the Para- veterinary Practitioner is found to be guilty of committing professional misconduct the council may award such punishment as deemed necessary or may direct the removal altogether or for a specified period, from the State Register of Para-veterinary Practitioner of the name of delinquent registered Para-veterinary Petitioner. Deletion from the State Register shall be widely published in local press as well as in the publication of Para Veterinary Association/Body.

(2) In case the punishment of removal from the State Register is for a limited period the Council may also direct that the name so removed shall be restored in the State Register after the expiry of the period for which the name was ordered to be removed on a payment of Rupees 100/- (Rupees One Hundred only)

(3) Decision on complaint against delinquent Para -veterinary Practitioner shall be taken within a period of six months.

(4) During the pendency of complaint the Himachal Pradesh Para Veterinary Council may restrain the delinquent Para-veterinary Practitioner from performing the practice.

APPENDIX-I

(See Regulation 3(1)

DECLARATION

At the time of registration as Para-veterinary Practitioner, each applicant shall be given a copy of the following declaration by the Registrar concerned and the applicant shall read and agree to abide by the same.

(1) I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of livestock.

(2) Even under threat, I will not use my veterinary knowledge contrary to the laws of livestock.
(3) I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient.
(4) I will practise my profession with conscience and dignity.
(5) The health of my animal will be my first consideration.
(6) I will respect the secrets which are confined in me.
(7) I will maintain by all means in my power, the honour and noble traditions of veterinary profession.
(8) I will treat my colleagues with all respect and dignity.
(9) I shall abide by the code of ethics as enunciated in the Himachal Pradesh Para - veterinary Council (Code of Ethics for regulating the Professional Conduct of Para-veterinary Practitioners) Regulations 2015.

I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Signature_____
Name_____
Place_____
Address_____ Tel.No._____
Date_____

Registrar
Himachal Pradesh Para Veterinary Council
Shimla.

President
Himachal Pradesh Para Veterinary Council
Shimla.

Place: Shimla.

HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL, SHIMLA-171005

NOTIFICATION

Shimla -5, the …… 2015

No. ……. In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No.21 of 2010), with prior approval of the state Govt. conveyed vide letter No. Ahy-A(3)-1/2009-P-1 dated 28.9.2011 the Himachal Pradesh Para-veterinary Council hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council (conditions of service and pay scales of the Registrar, other officers and servants) Regulations, 2015.

(2) they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-- All words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in Act and rules framed there under.

3. Qualification and experience for the appointment as Registrar of the Council.-- The Registrar of the Council shall be appointed by the Council with the prior approval of the State Government as required under section 32 of the Himachal Pradesh Para- veterinary council Act, 2010, and should be Technical Class-I officer serving in the Department of Animal Husbandry at Shimla.

4. Term of office and conditions of services of Registrar.- The term of office of the Registrar shall be five years from the date of appointment, provided that at the expiry of the period of his term the Registrar shall be eligible for re-appointment.

5. Remuneration and allowances to be paid to the Registrar.-(1) The Registrar appointed under regulation 3 shall perform the functions of the Registrar in addition to his own duties of his post at Shimla and shall be paid remuneration as may be determined by the Council and the remuneration shall be paid out of the funds of the Council.

(2) If the Registrar has to undertake any journey for attending the meeting of the Council or its Committee or for any work of the Council in public interest he shall be liable to draw the same travelling and daily allowances as are admissible to him in his official capacity out of the funds of the Council.

6. Recruitment and Promotion rules of Staff (Regular/Contractual Clerk-cum-Computer Operator (Non Gazetted) Class- III and Peon/Chowkidar (Non Gazetted) Class-IV.—As required under clause (h) of sub section (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para Veterinary Council Act, 2010 (Act No. 21 of 2010) recruitment and promotion rules for the following posts will be followed in the same manner as applicable in the State Government from time to time:

1. Name of Post: Ministerial Staff = 2.
   (Entry to Ministerial Staff from Clerk and further promotions to higher grades)
2. Name of post: Peon = 1.
3. Name of post: Chowkidar = 1.

Till such time appointments for the above posts are made on regular/contract basis, the services of retired/in service officials of the Animal Husbandry Department can be hired on an honorarium to be decided by the Council, so that working of the Council may be started.

HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL, SHIMLA-171005

NOTIFICATION

Shimla-5, the……. 2015

No. ……. In exercise of the powers conferred by clause (i and j) of sub-section (1) of section 54 of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010 (Act No.21 of 2010), with prior approval of the state Govt. conveyed vide letter No. Ahy-A(3)-1/2009-P-1 dated 28.9.2011 the Himachal Pradesh Para-veterinary Council hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement.-- (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council (manner of revision of State Register and its form) Regulations, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--

a. " Act means the Himachal Pradesh Para-veterinary council Act, 2010.
b. "Form" means the form appended to these rules;

(2) All words and expressions used in these regulations but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in Act and the rules made there-under.

3. State Register of Para Veterinary Practitioner and its Verification of pages:

(1) The State Register of Para- veterinary Practitioner as required under sub section (2) of Section 38 of the Act shall be in **Form- A**.

(2) The Registrar shall, before bringing the State Register of Para-veterinary Practitioner into use, add a certificate on the title page specifying the number of pages it contains. Such certificate shall be signed and dated by the Registrar.

(3) Each page of register shall be numbered and verified by the Registrar.

4. Change of name to be intimated to the Registrar.--If a Registered Para-veterinary Practitioner or Para-veterinary Establishment changes his name shall inform the Registrar about the same and satisfy the Registrar that he has already notified the fact of the change of name in leading News Papers having wide circulation in the area in which he carries on his practice. The Registrar shall, on being so satisfied and on receipt of a fee of Rupees Two Hundred Fifty only, enter the changed name in the register accordingly. The necessary change in the Registration Certificate shall also be made by the Registrar.

5. Revision and publication of State Register.-- (1) The Registrar shall revise the State Register of Para -veterinary Practitioner after every five years and enter therein.

(a) the number of Para -veterinary Practitioners already registered;
(b) the number of Para Veterinary Practitioners registered during the period of five years preceding the revision of State Register;
(c) the names of the Para Veterinary Practitioners whose names have been restored to the State Register;
(d) the number of Para veterinary Practitioners whose names have been removed from the State Register during the period of five years preceding the revision of the State Register stating the provisions of the Act or rules under which the names have been removed; and
(e) the number of Para Veterinary Practitioners whose names have been removed by reason of death during the period of five years preceding the revision of State Register.

(2) The first State Register shall be published in the official Gazette within 180 days from the date of constitution of the first council.

(3) The revised State Register shall be published in the Gazette within 180 days after completion of the period of five years preceding the revision of State Register and the Registered Para-veterinary Practitioners adversely affected by the revision shall be informed of the adverse effects on them, by registered post.

(4) A copy of the first State Register or Revised State Register, as the case may be, so published, shall be affixed on the notice board of the council.

(5) Printed copies of the Register may be made available for sale at a price to be decided by the Council from time to time.

(6) The Registrar shall keep a printed interleaved copy of the State Register where in he shall make, during each year, any entry, alteration or erasure that may be necessary.

6. Issue of a duplicate Registration Certificate.-- If a registration certificate is lost, destroyed or mutilated the registered Para-veterinary practitioner or registered Para-veterinary establishment may at any time during which the certificate is in force, apply to the Registrar for a duplicate certificate and Registrar shall, on being satisfied, issue on receipt of rupees two hundred fifty only, a duplicate certificate. The duplicate certificate shall be inscribed on the top of the Certificate.

7. Fees for supply of certified copy.-- (1) The fees for supply of copy of any order passed by the council or the Registrar or any entry in the register shall be charged at the rate of rupees ten per page.

Provided that if the applicant applies for a copy urgently, he shall have to pay double the amount of fees specified as above.

(2) In case of urgent application, the copy sought for, shall be ready for delivery to the applicant by the close of the office hours of the day following that on which the application is made.

8. Application for registration of Para-veterinary establishment.--(1) Every person intending to run a Para-veterinary establishment under section-27 of the act to render veterinary services under the supervision and directions of registered veterinary practitioner shall make an application in a **Form -B**, read with Section 28 (2) , of the act to the Council for the registration of Para-veterinary establishment accompanied by fee amounting to rupees One thousand only in the form of a demand draft drawn on a scheduled Bank in favour of the Registrar, Himachal Pradesh

Para-veterinary Council, Shimla. The registration certificate so issued will be valid for a period of three years and thereafter will be renewed on payment of rupees five hundred as renewal fee.

Form-A

(See section 38 (2) and regulation 3(1))
HIMACHAL PRADESH PARA VETERINARY COUNCIL
STATE REGISTER OF PARA VETERINARY PRACTITIONERS

Serial Number	Full name of Para Veterinary Practitioner (in block letters with father's/husband's name.	Address of the Para Veterinary Practitioner	Qualifications and date when obtained, with name of institution.	Fees paid	Age with date of birth	Place of service
1	2	3	4	5	6	7

Registration Number	Place and date of issue of Certificate of registration	Date on which certificate of registration expires.	Date of renewal	Affix latest stamp size photograph of Para Veterinary Practitioner.	Remarks if any	Signature of Registrar.
8	9	10	11	12	13	14

President
Himachal Pradesh Para Veterinary Council
Shimla

Place…….
Date…….

Form-B

(See section 28(2) and regulation 8))
FORM OF APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF PARA VETERINARY ESTABLISHMENT

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Para-Veterinary Council,
Shimla-171005.

Sir,

I beg to apply to seek permission under section 27 of the Himachal Pradesh Para- veterinary Council Act,2010, to establish Para Veterinary Establishment at……. Tehsil…….. District…… Himachal Pradesh. The required particulars are as under:--

(a) Particular of the applicant:
(b) Name of applicant (in block letters):

(c) Address (in block letters):

(d) Address where Para- veterinary Establishment shall be made functional. (Number Street, city, pin codes, telephone number, tele-fax)

(e) Registration Number and date as per State Register.

List of enclosures:--

3. Certified copy of certificate of registration.

4. List of infrastructure available viz Refrigerator, Furniture, Castrators and open space for handling the animal.

Yours faithfully,
(Applicant)

Date_____
Shimla_____

_____

HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL
PASHUDHAN BHAWAN, SHIMLA-5

No. HPPVC-A-3/2011. **Dated Shimla-5, the …….** 2015

To

The Secretary (AH) to the
Government of Himachal Pradesh
Shimla-2.

Subject.—Notification of Regulations of Himachal Pradesh Para-veterinary Council (HPPVC) under Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010– Regarding.

Sir,

I have the honour to inform that under Clause (a to j) of Sub-Section (1) of Section 54 of Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010(Act No. 21 of 2010), Regulations to carry out purpose of this Act are required to be approved by the Government before their notification by the HPPVC.

Accordingly the draft regulations in r.o. Clause (a to j) of Sub-Section (1) of Section 54 of Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010(Act No. 21 of 2010) are enclosed herewith for approval of the Government please.

Yours faithfully,
Registrar,
H.P. Para Veterinary Council,
Pashudhan Bhawan, Shimla.

Form-B

(See Section 28(2) and regulation8.1)
FORM OF APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF PARA VETERINARY ESTABLISHMENT

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Para-Veterinary Council,
Shimla-171005.

Sir,

I beg to apply to seek permission under section 27 of the Himachal Pradesh Para-Veterinary Council Act, 2010 to establish Para Veterinary Establishment at…… Tehsil……District……Himachal Pradesh. The required particulars are as under:--

(a) Particular of the applicant:
(b) Name of applicant (in block letters):
(c) Address (in block letters):
(d) Address where Para-Veterinary Establishment shall be made functional. (Number Street, city, pin codes, telephone number, tele-fax)
(e) Registration Number and date as per State Register.

List of enclosures:--

1. Certified copy of certificate of registration.
2. List of infrastructure available viz Refrigerator, Furniture, Castrators and open space for handling the animal.

Yours faithfully,
(Applicant)

Date_____
Shimla_____

By order,
Addl. Chief Secretary (AH) to the
Government of Himachal Pradesh.

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 29th *September,* 2014

No. NES-F(10)-3/2014.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Steering committee for Solar pumping programmes for irrigation consisting of the following members with immediate effect:—

(*i*) Principal Secretary (NES) to the Government of H.P. *Chairman*

(*ii*) Secretary(Agriculture) to the Government H.P. *Member*

(*iii*)	Secretary (Horticulture) to the Government of H.,P.	*Member*
(*iv*)	Secretary (Soil Conservation) to the Government of H.P.	*Member*
(*v*)	Secretary (I & PH) to the Government of H.P.	*Member*
(vi)	Secretary (Power) to the Government of H.P.	*Member*
(vii)	Secretary (NES) to the Government of H.P.	*Member*
(viii)	Managing Director, HPSEBL	Member
(ix)	Representative of NABARD	*Member*
(x)	Representative from NIT Hamirpur	*Member*
(xi)	Chief Executive Officer, Himurja	*Convener*

The terms of reference of the above committee will be as under:—

1. The committee will ensure coordination between various departments to effectively implement the programme.

2. The committee will ensure that the farmers in the defined watershed areas of the State are duly covered under available schemes for irrigation. Outside the watershed, also they should ensure that the farmer who go for a Solar pump, get all assistance from the departments like soil management, water resources, credit management agriculture etc.

3. In case financial requirement is more than what the farmer can afford taking into account the Central financial assistance available, the Committee will ensure that the State Government/other departments/other organizations reduce the financial burden through capital subsidy or interest subvention from the existing schemes or provisions.

4. The Committee will invariably pursue the list of pending requests of the farmers with the distribution company/companies in the State so that the Solar pumping scheme can benefit this class of farmers in case there is undue delay in getting their pump sets energized by the DISCOMs.

5. In case the farmer doesn't need the pump for irrigation all-round the year, the farmer will be free to connect to the grid and supply power with net metering/two way meters for which the farmer would be paid or given credit by the distribution company. The committee will ensure that the surplus power is either put into the grid or used effectively locally.

6. The Committee should ensure the farmer gets a total package alongwith the pump i.e. water harvesting, drip irrigation and other forms of micro irrigation. Further other inputs like seeds fertilizers etc are to be provided to get the maximum benefit from irrigation.

7. Institutional financing in terms of agricultural loans/or other form of soft credit may be organized through various financial institutions and power guidance provided to the farmers.

8. The Committee will be responsible to ensure that the scheme is implemented on a timely manner so that the State does not lose its subsidy because of delayed implementation.

9. The Committee will ensure that service network is available for timely service and repairs throughout the life of the pump.

10. The agencies will also be persuaded to offer insurance to the farmers against theft, breakdown and other exigencies, if required.

11. The committee will explore the possibility of pumps using solar in allied agricultural activities also.

The programme will be implemented in two modes:-

I. Through State Nodal Agency where the subsidy will be placed with agency who will then short list the vendors and select beneficiaries under guidance of the steering committee.

II. Through banks where subsidy will be placed with NABARD. Disbursement will be through participating banks.

By order,
S K B S NEGI,
Principal Secretary (NES).

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 18th *April,* 2015

No. NES-F(1)-2/2014.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level Committee for implementation of scheme related to setting up of Grid connected Solar PV Projects and give directives, coordinate and sort out problems, issues and difficulties that may arise while implementing the scheme consisting of the following members with immediate effect:—

(i)	Principal Secretary (NES) to the Government of H.P.	*Chairman*
(ii)	Managing Director, HPSEBL, H.P.	*Member*
(iii)	Chief Executive officer, Himurja, H.P.	*Member*
(iv)	Representative of UCO Bank	*Member*
(v)	Director, Industries, H.P.	*Member*
(vi)	Director, Labour training & Employment, H.P.	*Member*
(vii)	Representative of NIT Hamirpur, H.P.	*Member*
(viii)	Representative of State Transmission Utility, H.P.	*Member*
(ix)	Director (Energy), H.P.	*Member Secretary*

The main objective of the committee to implement the schemes of MNRE, Government of India for setting up of Solar Projects in the State and to implement the scheme for setting up over 20,000 MW of Grid connected Solar PV Projects by unemployed youths and Gram Panchyats under Solar Scale-up of 1,00,000 MW by 2021-22.

By order,
S K B S NEGI,
Principal Secretary (NES).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

दिनांक : 1 जून, 2015

संख्याः पीसीएच–एचए(3)8 / 2006.––क्योंकि विभाग में, जिला सिरमौर के विकास खण्ड पावंटा साहिब की ग्राम सभा 'डाण्डा कालाआम्ब' का नाम बदलकर 'टौरू डाण्डाआन्ज' रखने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा डाण्डा कालाआम्ब का नाम बदलकर टौरू डाण्डाआन्ज रखने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं ;

यदि ग्राम सभा डाण्डा कालाआम्ब का नाम बदलकर टौरू डाण्डाआन्ज रखने के संबन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आप्पति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे ;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर, विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा डाण्डा कालाआम्ब का नाम बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा,
प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमलाः 171 009, 8 जून, 2015

संख्याः पीसीएच–एचए(3)36 / 96–II.––क्योंकि सचिव (शहरी विकास विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं0 यु0डी0–ए (1)–3 / 2007 दिनांक 31–07–2013 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची–क में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को नगर परिषद् रोहडू में सम्मिलित करती हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला, विकास खण्ड रोहडू के अनुसूची–क में दिए गए विविरण अनुसार ग्राम पावली के क्षेत्र को सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला शिमला के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं;

यदि अनुसूची–क में वर्णित क्षेत्रों की घोषणा के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई भी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला शिमला के अनुसूची–क में वर्णित ग्राम सभा के क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude निकालने) करने बारे अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा,
प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

———————

अनुसूची ''क''

नगर परिषद रोहडू की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र

क्रम संख्या	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1.	पावली	249	4–2 बीघा
2.		250	3–14
3.		283 / 251	5–3
4.		416 / 283 / 251	2–17
5.		417 / 283 / 451	3–3
6.		285 / 252	0–8
7.		286 / 252	0–8
8.		424 / 287 / 253	0–1
9.		425 / 287 / 253	0–5
10.		288 / 253	0–2
11.		375 / 254	1–8
12.		381 / 376 / 254	0–11
13.		382 / 376 / 254	1–11
		किता–13	**23–13**

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 8 जून, 2015

संख्याःपीसीएच–एचए (3) 36 / 96–एन.पी. मण्डी.––क्योंकि सचिव (शहरी विकास विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं0एल0एस0जी0–ए (4)–4 / 80 दिनांक 19–11–2011 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची–क में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के रूप में सम्मिलित करते है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी, विकास खण्ड गोपालपुर के अनुसूची–क में दिए गए विवरण अनुसार ग्राम सभा बरछवाड़ क्षेत्र को नगर पंचायत सरकाघाट में सम्मिलित करने के फलस्वरूप अपवर्जित करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला मण्डी के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं;

यदि अनुसूची–क में वर्णित क्षेत्रों की घोषणा के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई भी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला मण्डी के अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा के क्षेत्रों को नगर पंचायत सरकाघाट में सम्मिलित करने के फलस्वरूप उक्त ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude निकालने) करने बारे अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

––––––––––

अनुसुची

नगर पंचायत सरकारघाट की सीमाओं में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र

क्रम संख्या	गांव का नाम	पूर्णतः / भागतः	क्षेत्र वर्गमीटरों में
1	दबरोग	पूर्णतः	61–82–86
		कुल	**61–82–86**

ब अदालत अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री श्री किरपा राम, निवासी गांव द्रवी, डाकघर डलहौजी कैंट, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश।

विषय.–प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र, ब्यान–हल्फी वमय अन्य कागजात इस आश्य से गुजारा है कि उसकी जन्म–तिथि 19–10–1956 है, जोकि ग्राम पंचायत रुलियानी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म–तिथि ग्राम पंचायत रुलियानी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर–एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27–07–2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म–तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15–06–2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। अनिल भारद्वाज
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अजय कुमार पुत्र श्री धारो राम, निवासी गांव आहला, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश।

विषय.–प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र, ब्यान–हल्फी वमय अन्य कागजात इस आश्य से गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती सुरमी देवी की मृत्यु–तिथि 12–06–1991 हैं, जोकि ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर–एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27–07–2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु–तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17–06–2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। अनिल भारद्वाज
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी (हि0 प्र0)।

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Rural, District Mandi, H. P.**

In the matter of :

1. Shri Ajay Kumar s/o Shri Jagdish Chand, r/oVillage Mandir Tanda, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Vandna Kumari d/o Shri Naresh Kumar, r/o Ambedkar Nagar, H.No. 42/8, Bhojpur, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Ajay Kumar s/o Shri Jagdish Chand, r/o Mandir Tanda, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Ajay Kumar s/o Shri Jagdish Chand, r/o Mandir Tanda, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Vandna Kumari d/o Shri Naresh Kumar, r/o Ambedkar Nagar, H.No. 42/8, Bhojpur, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Ajay Kumar s/o Shri Jagdish Chand, r/o Mandir Tanda, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-01-2015 according to Hindu rites and customs at Brijeshwari Mata Temple Ravi Nagar, District Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-07-2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 17th day of June, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Mandi (Rural), District Mandi.

ब अदालत श्री पूर्ण चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्री लाल सिंह पुत्र श्री घोली राम, गांव थुवारी, डा0 वान्धी, उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेरधारा 16 भू–राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय हल्फी ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त हनोगी में लाल चन्द दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत वान्धी में उसका नाम लाल सिंह दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लाल चन्द उर्फ लाल सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे में यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–7–2015 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17–6–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। पूर्ण चन्द,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

————————

अज कार्यालय श्री पूर्ण चन्द, नायब तहसीलदार, उप तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्री दुष्यन्त ठाकुर पुत्र श्री जिन्दू राम, गांव टकोली, डा0 नगवाईं उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दुष्यन्त ठाकुर पुत्र श्री जिन्दू राम, निवासी गांव टकोली, डा0 नगवाईं उप–तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री तमन्ना ठाकुर का जन्म दिनांक 22–4–1994 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत टकोली, उप तहसील औट, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17–7–2015 को असालतन या वकालतन 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धरित अवधि के पश्चात् को उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना पत्र श्री दुष्यन्त ठाकुर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17–6–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। पूर्ण चन्द,
नायब तहसीलदार,
उप तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla, H.P.

In the matter of :

1. Tashi Phunchok s/o Shri Prem Singh Negi, r/o Village & P.O. Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P.
2. Bharti Negi Daughter of Shri Sohan Lal Negi, r/o Village & P.O. Palangi, Tehsil Nichar, District Kinnaur, H.P. . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Proclaimation for the registration of Marriage under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Tashi Phunchok s/o Shri Prem Singh Negi, (aged 30 years) r/o Village & P.O. Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P. and Bharti Negi (aged 31 years) Daughter of Shri Sohan Lal Negi, r/o Village & P.O. Palangi, Tehsil Nichar, District Kinnaur, H.P.have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18.10.2013 at Village & P.O. Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13.7.2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 12th day of the June, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Rampur Bushahr.

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 22 / 2015 तारीख दायर : 18–06–2015

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, गांव व डा0 सूगा, 15 / 20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) .. प्रार्थी

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, गांव व डा0 सूगाा, 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री राधिका की जन्म तिथि 22–10–2009 का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख सरपारा, 15/20 में दर्ज न हैं। प्रार्थी अपनी पुत्री की जन्म तिथि व नाम का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत सरपारा, 15/20 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण का सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत, अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपति हो तो दिनांक 21–07–2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपति दर्ज करवा सकता हे। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18–06–2015 को मेर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।

————————

ब अदालत श्री रती राम गेगटा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

मिशल नं0 05–XIII-B-1/2015 तारीख मरजुआ : 01–05–2015

श्रीमती गुलटी देवी विधवा स्व0 श्री दौलत राम, निवासी ग्राम कुठाडी, परगना नावर, उप–तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.–दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती गुलटी देवी विधवा स्व0 श्री दौलत राम, निवासी ग्राम कुठाडी, परगना नावर, उप–तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अपने नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम मोहाल कुठाडी के राजस्व रिकार्ड में गुजरी देवी विधवा स्व0 श्री दौलत राम दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम मुताबिक राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, नकल परिवार रजिस्टर तथा आधार कार्ड के अनुसार गुलटी देवी विधवा स्व0 श्री दौलत राम दर्ज है जो कि सही व सत्य है इस बारा आवेदिका ने कागजात माल मोहाल कुठाडी में दरुस्त करने बारा निवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 17–07–2015 या इससे पूर्व इस अदालत में आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा आवेदिका के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

मोहर।

रती राम गेगटा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री सुरेन्द्र सिंह लेहल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भू–व्यवस्था वृत व तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री विजय सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम वाली, हाल निवासी शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0–173027.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए दरुस्ती नाम।

जैसा कि श्री विजय सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम वाली, हाल निवासी शिलाई, पत्रालय व तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पिता जी का नाम समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा उसकी मूल ग्राम पंचायत वाली कोटी पंचायत अभिलेख में नैन सिंह सही दर्ज है मगर मौजा शिलाई में उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में विजय सिंह पुत्र लाल सिंह गलत दर्ज हुआ है। राजस्व अभिलेख में भी विजय सिंह पुत्र नैन सिंह सही वलदियत दरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 30–07–2015 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 08–06–2015 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेन्द्र सिंह लेहल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत शिलाई।

———————

ब अदालत केशव राम कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 16 / 2015 तारीख रजुआ : 05–06–2015 किस्म मुकद्दमा : इन्द्राज विवाह पंजीकरण

श्री राम कुमार पुत्र श्री गुरचरण सिंह व श्रीमती जसवीर कौर पत्नी श्री राम कुमार, निवासी ग्राम वार्ड नं0–09, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 .. वादी।

बनाम

आम जनता : बजरिया नगर परिषद् बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) .. प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 श्री राम कुमार पुत्र श्री गुरचरण सिंह व श्रीमती जसवीर कौर पत्नी श्री राम कुमार, निवासी ग्राम वार्ड नं0–09, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानबाला में प्रात्यार्थीगण ने श्री राम कुमार पुत्र श्री गुरचरण सिंह व श्रीमती जसवीर कौर पत्नी श्री राम कुमार, निवासी ग्राम वार्ड नं0 09, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया प्रस्तुत किया है कि उनका विवाह दिनांक 06–12–2014 को हिन्दू धर्म व

रीति–रिवाज के अनुसार उनके घर पर सम्पन्न हुआ है। जिसका वह व उनके घर वाले किसी कारणवश नगर परिषद् बद्दी के रिकॉर्ड में शादी का इन्द्राज नहीं करवा सके थे। जिसका अब वह इन्द्राज करवाना चाहते हैं। अतः शादी का ईन्द्राज सम्बन्धित नगर परिषद् में होन के प्रति आम जनता व जन साधारण को ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री राम कुमार पुत्र श्री गुरचरण सिंह, निवासी ग्राम वार्ड नं0–09, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 व श्रीमती जसवीर कौर पुत्री श्री लखविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम हरीपुर सण्डोली, तहसील बद्दी, की शादी का इन्द्राज नगर परिषद् बद्दी तहसील बद्दी में दर्ज होने बारे अगर किसी को कोई एतराज है तो वह दिनांक 06–07–2015 को इस न्यायालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 06–07–2015 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05–06–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 16/2015 तारीख रजुआ : 11–06–2015

श्री गुरदयाल सिंह पुत्र श्री देश राज, निवासी ग्राम हरीपुर सण्डोली, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 .. वादी

बनाम

ग्राम पंचायत/नगर परिषद्, हरीपुर सण्डोली, तहसील बद्दी, जिला सोलन हि0 प्र0 .. प्रतिवादी

इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानबाला में आम जनता व हर आम/खास को बजरिया ईश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री गुरदयाल सिंह पुत्र श्री देश राज, निवासी ग्राम हरीपुर सण्डोली, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 वादी ने इस अदालत में बच्चे के जन्म इन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	नाम व पता	रिश्ता	जन्म
1.	गुरमीत सिंह	पुत्र	01–02–1988

उक्त बच्चे की जन्म तिथि का ग्राम पंचायत/नगर परिषद् हरीपुर सण्डोली, तहसील बद्दी के रिकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित प्रस्तुत किया है। यदि किसी को उपरोक्त की जन्म तिथि का पंजीकरण होने बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 13–07–2015 या इससे पूर्व अपना ऐतराज लिखित या मौखिक रूप से इस अदालत में पेश कर सकते हैं। अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म–तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी ऐतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11–06–2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

————

ब अदालत केशव राम कोली कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बद्दी जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 14 / 2015 तारीख रजुआ : 08–06–2015

श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री पोहु लाल, निवासी ग्राम ठेडपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0
.. वादी

बनाम

ग्राम पंचायत / नगर परिषद्, पट्टा नाली, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 .. प्रतिवादी

इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानबाला में आम जनता व हर आम / खास को बजरिया ईश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री पोहु लाल, निवासी ग्राम ठेडपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 वादी ने इस अदालत में बच्चे के जन्म इन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	नाम व पता	रिश्ता	जन्म
1.	हरप्रीत कौर	पुत्री	19–02–2008

उक्त बच्चे की जन्म तिथी का ग्राम पंचायत / नगर परिषद् पट्टा नाली, तहसील बद्दी के रिकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित प्रस्तुत किया है। यदि किसी को उपरोक्त की जन्म–तिथि का पंजीकरण होने बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 09–07–2015 या इससे पूर्व अपना ऐतराज लिखित या मौखिक रूप से इस अदालत में पेश कर सकते हैं। अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी ऐतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08–06–2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

ब अदालत केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 17 / 2015 तारीख रजुआ : 16–06–2015

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह, निवासी मकान नं0 260, फेस–3, हाऊसिंग बोर्ड कलोनी साई रोड बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 .. वादी।

बनाम

ग्राम पंचायत / नगर परिषद्, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन हि0 प्र0 .. प्रतिवादी।

इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानबाला में आम जनता व हर आम / खास को बजरिया ईश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह, निवासी मकान नं0 260, फेस–3, हाऊसिंग बोर्ड कलोनी साई रोड बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस अदालत में बच्चे के जन्म इन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	नाम व पता	रिश्ता	जन्म
1.	हरमन	पुत्र	28–10–1996

उक्त बच्चे की जन्म तिथी का ग्राम पंचायत / नगर परिषद् हरीपुर सण्डोली, तहसील बद्दी के रिकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित प्रस्तुत किया है। यदि किसी को उपरोक्त की जन्म तिथि का पंजीकरण होने बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 17–07–2015 या इससे पूर्व अपना ऐतराज लिखित या मौखिक रूप से इस अदालत में पेश कर सकते हैं। अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म–तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी ऐतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16–06–2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

———

ब अदालत केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 15 / 2015 तारीख रजुआ : 08–06–2015

श्रीमती जीत कौर पत्नी स्व0 श्री प्रकाश चन्द, निवासी ग्राम बुरांवाला, डा0 बरोटीवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 .. वादी

बनाम

ग्राम पंचायत / नगर परिषद्, बरोटीवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 .. प्रतिवादी

इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानबाला में आम जनता व हर आम / खास को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्रीमती जीत कौर पत्नी स्व0 श्री प्रकाश चन्द, निवासी ग्राम बुरांवाला, डा0 बरोटीवाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस अदालत में बच्चे के जन्म इन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	नाम व पता	रिश्ता	जन्म
1.	प्रदीप	पुत्र	25—11—1997

उक्त बच्चे की जन्म तिथी का ग्राम पंचायत / नगर परिषद् बरोटीवाला, तहसील बद्दी के रिकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित प्रस्तुत किया है। यदि किसी को उपरोक्त की जन्म तिथि का पंजीकरण होने बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 09—07—2015 या इससे पूर्व अपना ऐतराज लिखित या मौखिक रूप से इस अदालत में पेश कर सकते हैं। अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी ऐतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08—06—2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है